रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 13 दिसम्बर 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक संवत्) [संख्या 50

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	641–666	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1329–1334	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	...	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये	...	975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	139-142	975
भाग 8–नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1935-1983	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

पुनीत कुमार तिवारी,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखनसामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

पदोन्नति

20 फरवरी, 2025 ई0

संख्या I/886333/38-1001(002)/5/2024–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700–2,08,700) में कार्यरत श्री रवि शंकर राय, जिला विकास अधिकारी, जनपद देवरिया को उनसे कनिष्ठ श्री उमेश मणि त्रिपाठी की पदोन्नति की तिथि 18 अक्टूबर, 2024 से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800–2,09,200) के पद पर नोशनल (प्रकल्पित) पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2– श्री राय की पदोन्नति के फलस्वरूप उनकी नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री राय अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या I/886339/38-1001(002)/5/2024–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700–2,08,700) में कार्यरत श्री प्रवीण कुमार राय, जिला विकास अधिकारी, जनपद एटा को उनसे कनिष्ठ श्रीमती हिमाली मिश्रा की पदोन्नति की तिथि 02 जनवरी, 2025 से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800–2,09,200) के पद पर नोशनल (प्रकल्पित) पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2– श्री राय की पदोन्नति के फलस्वरूप उनकी नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री राय अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या I/886623/38-1001(002)/5/2024–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे-मैट्रिक्स लेवल-11 (वेतनमान रु0 67,700–2,08,700) में कार्यरत श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, उपायुक्त (स्वतः रोजगार) जनपद कुशीनगर को उनसे कनिष्ठ श्री बलराम कुमार की पदोन्नति की तिथि 05 नवम्बर, 2024 से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे-मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतनमान रु0 78,800–2,09,200) के पद पर नोशनल (प्रकल्पित) पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती हैं।

2– श्री मिश्रा की पदोन्नति के फलस्वरूप उनकी नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री मिश्रा अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
सुख लाल भारती,
सचिव।

मत्स्य विभाग

उत्पादन अनुभाग

30 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 37/2024/2327/सत्रह-म-2024-17-1099/55/2021—संख्या-600/नि0शा0/म0पा0क0को0 2024-25 दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालन/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु ''माता सुकेता महिला मत्स्य पालन सशक्तीकरण परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1579/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 04 नवम्बर, 2023 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालन/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु ''माता सुकेता महिला मत्स्य पालन सशक्तीकरण परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1579/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 04 नवम्बर, 2023 को युक्तियुक्त संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के अन्तर्गत मत्स्य पालन/मछुआ परिवारों की महिलाओं को सशक्त करने हेतु ''माता सुकेता महिला मत्स्य पालन सशक्तीकरण परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

शासनादेश का प्रस्तर संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2	3
3	**चयन हेतु पात्रता** प्राथमिकता के आधार पर पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय में लगे एवं केज कल्चर की परियोजनान्तर्गत कि सी अन्य योजना से लाभान्वित न हुए मत्स्य पालन/मछुआ, परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, विन्द, धोमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, माझी, गोड़िया, कहार, तुरैहा/तुराहा समुदाय से सम्बन्धित महिला अथवा कोई अन्य महिला, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ी हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन कर रही हो एवं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो, चयन हेतु पात्र होगी।	**चयन हेतु पात्रता** प्राथमिकता के आधार पर पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय में लगे एवं केंद्र कल्चर की परियोजनान्तर्गत किसी अन्य योजना से लाभान्वित न हुए मत्स्य पालन/मछुआ, परम्परागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, विन्द, धीमर, कश्यप, वाथम, रैकवार, माझी, गोड़िया, कहार, तुरैहर/तुराहा समुदाय से सम्बन्धित महिला अथवा कोई अन्य महिला, जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ी हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन कर रही हो एवं उत्तर प्रदेश की निवासिनी हो, चयन हेतु पात्र होगी। परियोजनान्तर्गत उक्तानुसार परिभाषित वर्ग/समुदाय की महिला आवेदकों का निम्नलिखित वरीयता क्रम में चयन किया जायेगा— 1— बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक महिला आवेदक-प्रथम वरीयता 2— विधवा महिला आवेदक-द्वितीय वरीयता 3— अन्य महिला आवेदक-तृतीय वरीयता

<table>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr>
<tr><td>4.6</td><td>वित्तीय वर्ष 2023-24 में महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत कुल 250 केजों की स्थापना पर 60 प्रतिशत की दर से कुल रु0 450.00 लाख के अनुदान कोष के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नवत् है।
<table>
<tr><th>क्रम</th><th>योजना का नाम</th><th>इकाई लागत प्रति केज स्थापना निवेश सहित</th><th>निवेश सहित स्थापित किये जाने वाले केजों की संख्या</th><th>कुल परियोजना धनराशि</th><th>अनुदान 60 प्रतिशत</th><th>लाभार्थी अंश 40 प्रतिशत</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="5">रुपये लाख में–</td></tr>
<tr><td>1</td><td>माता सुकेता महिला मत्स्य पालन सशक्तीकरण योजना</td><td>3</td><td>250</td><td>750</td><td>450</td><td>300</td></tr>
</table></td><td>महिला सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत केजों की स्थापना पर 60 प्रतिशत अनुदान धनराशि (प्रति केज निवेश सहित इकाई लागत रु0 3.00 लाख पर अनुदान धनराशि रु0 1.80 लाख कोष के माध्यम से लाभार्थियों को दिया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>7.1</td><td>परियोजना के लागू होने से 250 मत्स्य पालन/मछुआ परिवार की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकेगा।</td><td>परियोजना लागू होने से मत्स्य पालन/मछुआ परिवार की अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए उन्हे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सकेगा।</td></tr>
</table>

3– शासनादेश दिनांक 04 नवम्बर, 2023 द्वारा मार्ग निर्देश में संशोधन के सबंध में उक्त नियमावली में अंकित उद्देश्य/शर्तों/मानकों के निर्धारण/संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए योजना के संचालन पर आने वाला व्यय भार बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा तथा घटकवार देय धनराशि का सत्यापन घटकों से सम्बन्धित विभाग से कराया जायेगा।

4– यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

23 जनवरी, 2025 ई0

सं0 1/2025/128/सत्रह-म-2025-17-1099/55/2021–संख्या-419/नि0शा0/म0पा0क0को0/2024-25 दिनांक 12 सितम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 02 मदों– वैवाहिक सहायता एवं शिक्षा हेतु सहायता (कोंचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि) के लिए मार्ग– निर्देश निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश मृत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित 12 मदों में से 02 मदों– वैवाहिक सहायता एवं शिक्षा हेतमु सहायता (कोंचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृत्ति आदि) के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित किये पर जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

(अ)– वैवाहिक सहायता–

1.1– उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1090/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालन मछुआरा को वैवाहिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। मत्स्य विकास (विकास एवं निमंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के संशोधित नियम-5 (13) में उल्लिखित है कि लाभार्थियों की पात्रता के मापदंड भारत सरकार के मत्स्य विभाग के केंद्र प्रायोजित योजनाओ के अधीन समय समय पर राजस्व विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित विहित पात्रता शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे।

उक्त के क्रम में मत्स्य पालन मछुआरा को वैवाहिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या 101/2017/44वी0आई0पी0/26-3-2017-4(188)/93 टी0सी0 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 2017, शासनादेश संख्या-149/2018/2082/26-3-2018-4(180)/93टी0सी0 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ 27 जून 2018, शासनादेश संख्या-40/2019/625/26-3-2019-4(188)/93टी0सी0 समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 06 फरवरी, 2019 द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के मार्ग निर्देश/मानक/निर्धारित धनराशि के अनुसार एक जोड़े पर कुल रु0 51,000.00 धनराशि एवं समय -समय पर शासन द्वारा यथा संशोधित मानकों/धनराशि के अनुसार मत्स्य पालन मछुआ परिवार की ऐसी पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाएगी जो प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या वैवाहिक सहायता संबंधी अन्य किसी योजना से लाभान्यित नहीं हुए हों।

1.2 पात्रता हेतु मानक–

1.2(1)– आवेदक मत्स्य पालन/मछुआ के रूप में कल्याण कोष में परिभाषित परंपरागत मत्स्य आखेटक, केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीगर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गाडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रियाकलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, एवं उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हो इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

1.2(2)– आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा रु0 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

1.2(3)– आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा वैवाहिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से कोई सहायता प्राप्त नहीं किया है।

1.3 वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत धनराशि–

वैवाहिक कार्यक्रम हेतु मदवार मात्रकृत धनराशि का विवरण निम्नवत है–

क्रम सं0	मद	धनराशि
1	2	3
		रुपये–
1	कन्या के खातें में (दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि)	35,000
2	विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री पर व्यय (कपड़े, पायल, बिछिया, कम से कम 07 बर्तन आदि)	10,000
3	कार्यक्रम के आयोजन हेतु व्यय (भोजन, पंडाल, फर्नीचर, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था आदि हेतु	6,000
	योग. .	**51,000**

1.4 लाभार्थी चयन प्रक्रिया–

1.4(1)– योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

1.4(2)– लाभार्थी का चयन जनपद सुतार पर उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के शसनादेश संख्या-6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जनपद स्तर पर विभागीय पोर्टल पर आनलाइन प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष पात्र पाये गये आवेदनो का डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज कर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जायेगा।

1.4(3)– प्रदेश स्तर पर उपलब्ध सीमा अंतर्गत निदेशक मत्स्य द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति से डिजिटल लाटरी द्वारा रैंडमाइज वरीयता क्रम के अनुसार चयनित आवेदकों के सापेक्ष जनपदवार धनराशि निर्धारण प्रस्तावित कर मत्स्य पालन कल्याण कोष के प्रबंध समिति के अनुमोदन उपरांत धनराशि जनपदों को आवंटित की जायेगी।

1.5 अन्य बिन्दु–

1.5(1)– आवेदक के विवाह का पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

1.5(2)– विवाह से सम्बंधित जी0पी0एस0 फोटोग्राफ जिसमे वैवाहिक कार्यक्रमों में उपस्थित जनसामान्य भी दर्शि हों आवेदन के समय उपलब्ध/संलग्न करना होगा।

1.5(3)– विवाह कार्यक्रम हेतु क्रय की गयी सामग्री एवं कार्यक्रम के आयोजन में व्यय हुई धनराशि के सम्बंध में पंजीकृत फर्म का बाउचर्स/भुगतान रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

1.5(4)– जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा सहायता धनराशि भुगतान के पूर्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम विभाग के जनपदीय अधिकारी एवं अन्य विभाग के जनपदीय अधिकारी यदि संबंधित हो, से सत्यापित कराते हुए इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना या उनके विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य समानांतर योजनान्तर्गत चयनित लाभान्वित नहीं है।

1.5(5)– चयनित लाभार्थियों को परियोजना का लाभ दिए जाने के पूर्व जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा स्थलीय सत्यापन एवं मानकों के अनुसार धनराशि व्यय किए जाने पर अनुदान सहायता की धनराशि बैंकइंडेड सहायता के रूप में एक किश्त में डी0बी0टी0 के माध्यम से विवाहिता कन्या के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।

1.5(6)– कार्यक्रम/योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम/योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

1.5(7)– शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या 1 से 20 तक में उल्लिखित प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

(ब)– शिक्षा हेतु सहायता/ –

कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्रवृति आदि–

उत्तर प्रदेश मत्स्थ पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 एवं प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास विकास एवं नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2019 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास (विकास एवं नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 में उल्लिखित प्रावधानों के क्रम में शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोट अंतर्गत मछुआरा/मत्स्य पालन को शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, छात्र आदि) प्रदान किया जाना प्रावधानित है। मत्स्य विकास

(विकास एवं नियंत्रण (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के संशोधित नियम 5(13) में उल्लिखित है कि लाभार्थियों की पात्रता के मापदंड भारत सरकार के मत्स्य विभाग के केंद्र प्रायोजित योजनाओ के अधीन समय-समय पर राजस्व विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित विहित पात्रता शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे।

उक्त के क्रम में मछुआरा मत्स्य पालन परिवार के अध्यनरत् बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता शासनादेश संख्या 4/2016/170/64-2-2016-1(141)/2003 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 12 अप्रैल 2016 के साथ संलग्न नियमावली कार्यालय ज्ञाप संख्या 169/64-2-2016-1(141)/2003 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 12 अप्रैल 2016, शासनादेश संख्या-22/2016/536/64-2-2016-1 (छात्रवृत्ति)/2013 पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 दिनांक 19 अगस्त, 2016 व उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 संख्या 20/2017/902/64-2-2017-1 (छात्रवृत्ति)/2013 दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोड़कर) दशमोतर छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति (पंचन संशोधन) नियमावली, 2017 से निहित प्रावधानों/नियमावली के अंतर्गत उल्लिखित मानकों/निर्धारित धनराशि के अनुसार मत्स्य पालन/मछुआरा परिवार के अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा हेतु सहायता अंतर्गत दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति ऐसे छात्रों को प्रदान किया जाएगा जिन्हे इस हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार भारत सरकार की किसी अन्य योजना से शुल्क प्रतिपूर्ति या सहायता राशि उपलब्ध न हुई हो को निम्न शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जा सकेगी।

3– शुल्क प्रतिपूर्ति–

2– पात्रता हेतु मानक–

2.1– योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

2.2– आवेदक मछुआ के रूप में कल्याण कोष के शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों में परिभाषित 12 उपजालियां केवट मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गौडिया, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय। परंपरागत मत्स्य आखेटक से कहार संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एथा वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन ण मात्स्यिकी क्रिया-कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, के अध्ययनरत् छात्र इस कार्यक्रम हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

2.3– आवेदक की माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक कुल आय रु0 2.00 लाख से अधिक न हो।

2.4– आवेदक जिन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण, समाज कल्याण विभाग या राज्य सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृति/शुल्क प्रतिपूर्ति या सहायता राशि उपलब्ध न हुई हो ही पात्र होंगे।

2.5– उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.6– शिक्षा सहायता हेतु निर्धारित शुल्क के अंतर्गत प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा शिक्षा, खेल, लाइब्रेरी और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न किया जाने शुल्क आदि जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो, शामिल होगा।

2.7– जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की आने वाली शुल्क की राशि अथवा नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से. जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.8– शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार 04 समूह में अध्यनरत् छात्र के पाठ्यक्रम को सूचीबद्ध करते हुए उन्हें इस हेतु निर्धारित सहायता धनराशि प्रदान की जा सकेगी–

क्रम सं0	समूह
1	2
1	समूह 1 से तात्पर्य स्नातक एवं परास्नातक स्तर के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रम से है।
2	समूह 2 से तात्पर्य परास्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है।
3	समूह 3 से तात्पर्य स्नातक स्तर के गैर तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है।
4	समूह 4 से तात्पर्य इंटरमीडिएट एवं समकक्ष स्तर के तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम से है।

3– शुल्क/फीस–

(1)– ''शुल्क का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है. तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, लाइब्रेरी और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न किए जाने वाला शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो शामिल होगा। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होगे।

(2)– जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है. उन मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार, के सक्ष्म प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की आने वाली शुल्क की राशि अथया नीचे उल्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से जो भी कम हो की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2(i)– समूह-1 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्वन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नोन रिफण्डेबल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेयबल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रु0 50,000/- में से जो भी न्यूनतम धनराशि होगी शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

2(ii)– समूह-2 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेटुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा रु0 30,000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

2(iii)– समूह-3 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेयुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा तकनीकी डिप्लोमा कोर्सों हेतु रु0 20,000/- में से जो भी न्यूनतम धनराशि होगी शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

2(iv)– समूह-4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित

धनराशि अथवा रु0 10,000/- में से जो भी न्यूनतम धनराशि होगी शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

(3)– शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थानों/निजी विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववितपोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रम की अनुमन्य शुल्क के बराबर प्रदान की जायेगी। यदि संबंधित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम के रूप में संचालित नहीं है तब प्रदेश स्तर पर सन्बन्धित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय की श्रेणी के अन्य शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क धनराशि में से सबसे न्यूनतम धनराशि अथवा उपरोक्त वर्णित समूहदार कोसों हेतु निर्धारित शुल्क, में से जो भी कम हो देय होगी।

(4)– प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं है, उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्ववित पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस अथवा उपलिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(5)– आनलाइन छात्रवृति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेयुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक धनराशि अथवा उपर्लिखित समूहवार निर्धारित धनराशि में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी।

(6)– शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त व निजी शिक्षण संस्थानों निजी विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववितपोषित पाठ्यक्रमों की फीस प्रतिपूर्ति उन्ही शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रम की शुल्क के बराबर प्रदान की जायेगी। यदि संबंधित शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय में उक्त पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम के रूप में संचालित नहीं है तब प्रदेश स्तर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय की श्रेणी के अन्य शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित रेगुलर पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क धनराशि में से सबसे न्यूनतम धनराशि अथवा उपरोक्त वर्णित समूहवार पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित शुल्क, में से जो भी कम हो, प्रदान की जायेगी।

4– अन्य बिन्दु–

4.1– ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु0 2.00 लाख से अधिक न हो, ही पात्र होंगे।

4.2– एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4.3– इस योजना के अधीन शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाला छात्र अन्य किसी योजना/विभाग से शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं लेगा।

4.4– अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.5– आवेदक को सक्षम स्तर से निर्गत जाति एवं आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4.6– आवेदक को आनलाइन आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा प्रदेश में समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग व अन्य किसी विभाग या योजना तथा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत उसे शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है/न ही स्वीकृत हुई है।

4.7– जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि भुगतान के पूर्व संबंधित विभाग (अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग संबंधित शिक्षण संस्थान) से यह पुष्टि करते हुए

प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि आवेदनकर्ता छात्र को कोई शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। न ही स्वीकृत हुई है एवं छात्र संस्थान में पंजीकृत है।

4.8– कार्यक्रम/योजना का संचालन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण जनपदीय सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण मुख्यालय एवं मंडलीय अधिकारी द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण करते हुए किया जाएगा। निदेशक मत्स्य तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यक्रम/योजना का अनुश्रवण किया जाएगा।

4.9– शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश में उल्लिखित प्रावधान भी प्रभावी रहेंगे।

कोचिंग हेतु सहायता–

उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 6/2023/270/सत्रह-म-2023-17-1099/55/2021 दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष अंतर्गत मत्स्य पालन मछुआरा को शिक्षा हेतु सहायता (कोचिंग, कौशल उन्नयन, अपवृति आदि) प्रदान किया जाना प्रावधानित है।

प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा पी0सी0एस0, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0 सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को जनपद स्तर पर नि शुल्क साक्षात प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षण। सलाह प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-03 के शासनादेश संख्या-16/2021/509/26-3-2021-1514/2016 दिनांक 06.02.2021, शासनादेश संख्या-150/2021/3424/26-3-2021-1514/2016 टी0सी0 दिनांक 17 दिसम्बर 2021 शासनादेश संख्या-41/2022/714/26-3-2022-1514/2016 टी0सी0 दिनांक 20.04.2022, शासनादेश संख्या 112/2022/2441/26-3-2022-1514/2016 दिनांक 18/10/2022. एवं शासनादेश संख्या-118/2022/2441/26-3-2022-1514/2016 दिनांक 10.11.2022 मार्ग निर्देश जारी किये गये है। योजानान्तर्गत प्रदेश के सभी जनपदों में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रतिभाशाली तथा अत्साही चियार्थियों को जनपद स्तर पर निशुल्क साक्षात प्रशिक्षण ऑनलाइन प्रशिक्षणा सलाह प्रदान किया जा रहा है। कल्याण कोष में परिभाषित उपजातियां-केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथक तुराहा समुदाय/परंपरागत मत्स्य आखेटक से संबंधित ऐसा व्यक्ति अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से मत्स्य पालन या मात्स्यिकी क्रिया-कलापों से सक्रिय रूप से जुड़ा हो तथा उससे अपना जीविकोपार्जन करता हो, के आश्रित प्रतिभाशाली तथा उत्साही विद्यार्थियों को यदि समाज कल्याण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में बजट प्रावधान/धनराशि की कमी के कारण इस वर्ग के विद्यार्थी प्रशिक्षण से वंचित हो रहे हो तो उन्हें समाज कल्याण विभाग की मांग के अनुरूप उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष से समाज कल्याण विभाग के मांग के आधार पर धनराशि प्रदान की जा सकेगी।

4– उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन कल्याण कोष के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 में प्रथम संशोधन उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) नियमावली 1954, उ0प्र0 मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2019 तथा उत्तर प्रदेश मत्स्य (विकास एवं नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2022 के संबंध में अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी, 2023 एवं तत्क्रम में योजना के क्रियान्वयन के सबंध में शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2023 द्वारा मार्ग-निर्देश निर्गत किये गये है। उक्त नियमावली में योजना के उद्देश्य/शर्तों/मानकों के निर्धारण /संचालन आदि का उल्लेख किया गया है। उक्त नियमावली में अंकित उददेश्य/शर्तों/मानकों के निर्धारण/संचालन आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित बजट की सीमान्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा।

5– यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

आज्ञा से,
के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

03 फरवरी, 2025 ई0

सं0 83/65-1099/33/2023—उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर श्री अवनीश कुमार का चयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-151,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत है—

अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	पिता का नाम	स्थाई पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4	5
श्री अवनीश कुमार	574677	श्री अभिमन्यु सिंह	सन्त कबीरनगर, अहिमामऊ, अर्जुनगंज, लखनऊ-226002	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2— श्री अवनीश कुमार का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व उनके द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाणीकरण प्रपत्र में अंकित पते पर शासन के पत्र संख्या-आई/258171/2023/65-1001(001)/2/2022, दिनांक 06 जनवरी, 2023 एवं पत्र संख्या 1426/2024/65-1099/33/2023, दिनांक 12 सितम्बर, 2024 द्वारा श्री अवनीश कुमार का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देशित किया गया। साथ ही श्री अवनीश कुमार को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल राज्य चिकित्सा परिषद, लखनऊ से सम्पर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

3— शासन के पत्र संख्या-आई/258162/2023/65-1001(001)/2/2022, दिनांक 06 जनवरी, 2023 द्वारा श्री अवनीश कुमार पुत्र श्री अभिमन्यु सिंह से औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ सत्यापन एवं स्वघोषणा पत्र संबंधी प्रपत्र (अनुलग्नक 1 एवं 2 पर) पर वांछित सूचना अंकित करते हुये 15 दिन में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

4— श्री अवनीश कुमार द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने संबंधित शासन के पत्र दिनांक 06 जनवरी, 2023 एवं 12 सितम्बर, 2024 के निर्गतोपरान्त स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन में उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही उनके द्वारा सत्यापन एवं स्वघोषणा पत्र संबंधी प्रपत्र (अनुलग्नक-1 एवं 2 पर) पर वांछित सूचना भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

5— शासन के पत्र संख्या-1427/65-1099/33/2023, दिनांक 12 सितम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या-1678/65-1099/33/2023, दिनांक 09 जनवरी, 2025 द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को यह निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर चयनित श्री अवनीश कुमार जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने/उनके अभ्यर्थन के संबंध में स्पष्ट कथन/सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायें।

6– निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अपने पत्रांक-3794/दि0ज0स0वि0/स्था0/अधिया/2024-25, दिनांक 13 जनवरी, 2025 के साथ श्री अवनीश कुमार के पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2025 की प्रति संलग्न कर शासन को प्रेषित किया गया, जिसमें श्री अवनीश कुमार द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है–

''मैं, अवनीश कुमार, दूरभाष में हुयी वार्ता के क्रम में यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा चयन UPPCS 2021 परीक्षा में दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर हुआ था। मैं इस पद को ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं Assistant controller of Account, MoHVA पद पर वर्तमान में कार्यरत हूँ।''

उक्त से स्पष्ट है कि श्री अवनीश कुमार उक्त पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं।

7– अत उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,000-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी श्री अवनीश कुमार का कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-28/5/80-का-4-1999 दिनांक 15 नवम्बर, 1999 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/16/आयोग /1/4/2011-का-4-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से श्री अवनीश कुमार का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। इस आदेश के निर्गतोपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त श्री अवनीश कुमार द्वारा उक्त के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

सं0 83(1)/65-1099/33/2023– उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर सुश्री वंशिका सिंह का चयन जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,600-1,51,100) में हुआ है, जिसका विवरण निम्नवत है–

अभ्यर्थी का नाम	अनुक्रमांक	पिता का नाम	स्थाई पता	चयनित पद का नाम
1	2	3	4	5
सुश्री वंशिका सिंह	443573	श्री बच्चू सिंह	ग्राम-दमुआका, तहसील-खैर पिसावा, अलीगढ़-202137	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी

2– सुश्री वंशिका सिंह का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने से पूर्व उनके द्वारा लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाणीकरण प्रपत्र में अंकित पते पर शासन के पत्र संख्या-340735/2023/65-1099/33/2023, दिनांक 28 जून, 2023 एवं पत्र संख्या-1425/2024/65-1099/33/2023, दिनांक 12 सितम्बर, 2024 द्वारा सुश्री वंशिका सिंह का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर परीक्षण रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्देशित किया गया। साथ ही सुश्री वंशिका सिंह को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल राज्य चिकित्मा परिषद, लखनऊ से सम्पर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।

3– शासन के पत्र संख्या-आई/340751/2023/65-1099/33/2023, दिनांक 28 जून, 2023 द्वारा सुश्री वंशिका सिंह पुत्री श्री बच्चू सिंह से औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के साथ सत्यापन एवं स्वघोषणा पत्र संबंधी प्रपत्र (अनुलग्नक 1 एवं 2 पर) पर वांछित सूचना अंकित करते हुये 15 दिन में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

4– सुश्री वंशिका सिंह द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने संबंधित शासन के पत्र दिनांक 28 जून, 2023 एवं 12 सितम्बर, 2024 के निर्गतोपरान्त स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया और न ही इस संबंध में कोई सूचना शासन में उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही उनके द्वारा सत्यापन एवं स्वघोषणा पत्र संबंधी प्रपत्र (अनुलग्नक-1 एवं 2 पर) पर वांछित सूचना भी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

5– शासन के पत्र संख्या-1427/65-1099/33/2023, दिनांक 12 सितम्बर, 2024 द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, लखनऊ को यह निर्देशित किया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर चयनित सुश्री वंशिका सिंह जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने/उनके अभ्यर्थन के संबंध में स्पष्ट कथन/सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायें।

6– निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अपने पत्रांक-2498/दि0ज0स0वि0/अधिया/2024-25, दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 के साथ सुश्री वंशिका सिंह के दिनांक रहित पत्र की प्रति संलग्न कर शासन को प्रेषित किया गया, जिसमें सुश्री वंशिका सिंह द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया है–

''प्रार्थी का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पन्न की गयी सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर हुआ था, जिसके संबंध में प्रार्थी के पास कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पत्रांक संख्या-584 दिनांक 28 सितम्बर, 2024 का स्पष्ट आख्या हेतु पत्र आया जिसके क्रम में आपको सूचित करना है कि प्रार्थी का चयन EPFO में हो चुका है जिस कारण अब प्रार्थिनी उपर्युक्त पद पर ज्वांइन नहीं करना चाहती है।''

7– उक्त से स्पष्ट है कि सुश्री वंशिका सिंह उक्त पद पर कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं। अत उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2022 के आधार पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल-08 (रु0 47,000-1,51,100) में चयनित अभ्यर्थी सुश्री वंशिका सिंह का कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-28/5/80-का-4-1999 दिनांक 15 नवम्बर, 1999 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/16/आयोग/1/4/2011-का-4-2022, दिनांक 31 मार्च, 2022 के आलोक में अभ्यर्थन निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। अत सम्यक् विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से सुश्री वंशिका सिंह का जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं। इस आदेश के निर्गतोपरान्त शासन द्वारा कोई सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा इस आदेश के निर्गतोपरान्त सुश्री वंशिका सिंह द्वारा उक्त के संबंध में प्रस्तुत कोई दावा मान्य नहीं होगा।

आज्ञा से,
सुभाष चन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अनुभाग-10

सेवानिवृत्ति-विज्ञप्ति

16 जनवरी, 2025 ई0

सं0 3072/24-10-27-10001(099)/6/2022–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में यांत्रिक संवर्ग के समूह ''क'' के निम्नलिखित अभियन्तागण के नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि को कैलेण्डर वर्ष 2025 में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जायेंगे–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री–			
1	मांगे राम	अधीक्षण अभियन्ता (यां0)	11.02.1965	28.02.2025

2– प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ उक्त अभियन्ता के सेवानिवृत्तिक देयकों/लाभों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने से पूर्व उनकी जन्मतिथि, नाम एवं अन्य सम्बन्धित तथ्यों की पुन पुष्टि स्वयं के स्तर पर कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
अनु सचिव।

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

28 फरवरी, 2025 ई0

सं0 2/2025/894730/27-1001(002)/6/2024–सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 सिविल संवर्ग के निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता स्तर-2 को मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 10,000 पे मैट्रिक्स लेवल-14) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

क्रम सं0	अभियन्ता का नाम
1	2
	सर्वश्री–
1	यतेन्द्र पाल सिंह
2	दिनेश कुमार पाण्डुवाल
3	अवधेश कुमार

2– उक्त पदोन्नति आदेश विभिन्न मा0 न्यायालय/मा0 अधिकरण के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

3– सम्बन्धित अभियन्ताओं की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय,
संयुक्त सचिव।

सेवानिवृत्त / विज्ञप्ति

06 मार्च, 2025 ई0

सं0 49 / सत्ताईस-13-2025–कार्यालय, प्रमुख अभियंता (अधि0-2 अनु0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-146 / ई-2 / से0नि0 विज्ञप्ति दिनांक 16 जनवरी, 2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावनुसार एतदद्वारा यह विज्ञापित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (सिंचाई विभाग) (समूह-ख) के निम्नलिखित सहायक अभियंता (सिविल) कैलेण्डर वर्ष 2025 में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-4 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे–

क्रमांक	सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1	राजेश कुमार, सहायक अभियन्ता	05.01.1965	31.01.2025
2	सुबोध कुमार, सहायक अभियन्ता	05.01.1965	31.01.2025
3	भकलू राम, सहायक अभियन्ता	02.02.1965	28.02.2025
4	राम राज, सहायक अभियन्ता	03.03.1965	31.03.2025
5	सुन्दर लाल मनीषी, सहायक अभियन्ता	02.03.1965	31.03.2025
6	हरिओम, सहायक अभियन्ता	12.03.1965	31.03.2025
7	विन्ध्यादीन, सहायक अभियन्ता	23.03.1965	31.03.2025
8	अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता	20.05.1965	31.05.2025
9	गोपाल राम, सहायक अभियन्ता	31.05.1965	31.05.2025
10	अभिलाख सिंह, सहायक अभियन्ता	13.05.1965	31.05.2025
11	बेचई लाल, सहायक अभियन्ता	12.05.1965	31.05.2025
12	अशोक कुमार, सहायक अभियन्ता	01.06.1965	31.05.2025
13	जगदीश, सहायक अभियन्ता	28.06.1965	30.06.2025
14	गणेश शंकर श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता	01.07.1965	30.06.2025
15	रमेश यादव, सहायक अभियन्ता	15.06.1965	30.06.2025
16	राम खेला, सहायक अभियन्ता	25.06.1965	30.06.2025
17	अजय चन्द्र, सहायक अभियंता	16.07.1965	31.07.2025
18	राम प्रकाश, सहायक अभियन्ता	06.07.1965	31.07.2025
19	राजेन्द्र कुमार मल्ल, सहायक अभियन्ता	05.07.1965	31.07.2025
20	राजेश गुप्ता, सहायक अभियन्ता	15.07.1965	31.07.2025

1	2	3	4
	सर्वश्री–		
21	सीता राम, सहायक अभियन्ता	02.07.1965	31.07.2025
22	राकेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता	23.08.1965	31.08.2025
23	राधेश्याम, सहायक अभियन्ता	01.11.1965	31.10.2025
24	अरविन्द कुमार, सहायक अभियन्ता	05.10.1965	31.10.2025
25	गिर्राज सिंह, सहायक अभियन्ता	01.12.1965	30.11.2025
26	विनोद कुमार, सहायक अभियन्ता	29.11.1965	30.11.2025
27	मुनेश कुमार, सहायक अभियन्ता	27.11.1965	30.11.2025
28	धर्मपाल सिंह, सहायक अभियन्ता	01.01.1966	31.12.2025
29	कुन्दन सिंह, सहायक अभियन्ता	01.01.1966	31.12.2025
30	रामधारी सिंह, सहायक अभियन्ता	01.01.1966	31.12.2025

आज्ञा से,
वी0एन0 तिवारी,
उप सचिव।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति/तैनाती

28 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 894/76-4-2024-2/4(53)/2012–श्री अनिल कुमार, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 6,600/- (पे मैट्रिक्स लेवल-11) में योगदान करने की तिथि से नियमित पदोन्नति तथा उनसे कनिष्ठ श्री रामेश्वर सिंह की अधिशासी अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति की तिथि 08 अक्टूबर, 2024 से नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुए 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

2– श्री अनिल कुमार, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, मुख्यालय, लखनऊ में योगदान करते हुए अग्रिम आदेशों/तैनाती तक पूर्ववत अपने पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन करते रहेंगे।

3– श्री अनिल कुमार की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
विनय कुमार सिंह,
संयुक्त-सचिव।

विज्ञप्ति / पदोन्नति

05 मार्च, 2025 ई0

सं0 671(1) / 76-4-2025-2 / 4(14) / 2018—श्री राजीव नयन उपाध्याय, अवर अभियन्ता (मैट्रिक्स लेवल-6 (35,400-1,12,400), लघु सिंचाई जनपद-प्रयागराज को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियन्ता (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500, पे लेवल-10) के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति करते हुए कार्यालय मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग से सम्बद्ध किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करती है।

2— श्री राजीव नयन उपाध्याय की उक्त तदर्थ पदोन्नति कार्यालय मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग के आदेश संख्या-4333 / स्था0-3 (टी0सी0) / 2016-17, दिनांक 11 नवम्बर, 2016 द्वारा स्वीकृत अभियोजन में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

3— उक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

अनुभाग-1,

कार्यालय-ज्ञाप

18 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 आई / 827179 / 2024 फाइल संख्या-92-1001 / 24 / 2019—श्री इसम सिंह, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि मे मुख्य अभियंता स्तर-दो, वेतन बैण्ड-4 वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स-लेवल 13क, के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए मुख्य अभियंता (पश्चिमी क्षेत्र) के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्री इसम सिंह को अनुमन्य वेतन / मंहगाई-भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शामनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3— मुख्य अभियंता स्तर-दो के पद पर नियमित पदोन्नति के फलस्वरूप श्री इसम सिंह, अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्य-भार ग्रहण कर कार्य-भार प्रमाणक की प्रति ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
आनन्द प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव।

नियोजन-विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति / नियुक्ति

17 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 829 / 35-1-2024—प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत सीधी भर्ती के उप निदेशक के आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के रिक्त पद पर उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी श्री मुशीर अहमद को उप निदेशक के पद पर पे बैण्ड रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-रु0 6,600/-

यथासंशोधित रु0 67,700-2,08,700 मैट्रिक्स लेवल-11 में कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी–

(1) अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश, प्रशिक्षण प्रभाग (राज्य नियोजन संस्थान) (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1992 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षां पर रखा जाता है तथा परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर उक्त नियमावली के व्यवस्थानुसार स्थायीकरण किया जायेगा। उप निदेशक के संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ ज्येष्ठता का निर्धारण सुःसंगत नियमों के अनुसार बाद में किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी की सेवायें समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश, प्रशिक्षण प्रभाग (राज्य नियोजन संस्थान) (समूह 'क') सेवा नियमावली, 1992 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा समस्त अन्य सेवा-शर्तें भी उन पर लागू होंगी जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(3) यदि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

3– अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उप निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक होने की दशा में इस आदेश के प्राप्ति के एक माह के भीतर निम्नानुसार सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों सहित कार्य-भार ग्रहण करने हेतु निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा।

(ख) अपने कर्जदार न होने की घोषणा।

(ग) एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

(घ) दहेज न लिये जाने विषयक प्रमाण-पत्र।

(ड़) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(च) संलग्न प्रपत्र में निजी विवरण।

(छ) राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का एक नवीनतम फोटोग्राफ।

(ज) राजपत्रित अधिकारी का चरित्र सम्बन्धी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

(झ) इण्डियन आफिसियल सिक्रेट्स एक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि एक माह के भीतर वह कार्य-भार ग्रहण करने हेतु निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनके नियुक्ति/अभ्यर्थन को निरस्त करने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव।

05 मार्च, 2025 ई0

सं0 201/35-1-2025–राज्य नियोजन सस्थान (नवीन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री मोहन प्रजापति, शोध अधिकारी (प्राविधिक) को वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) के पद पर पे बैण्ड रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600/- लेवल 11 में को प्रोन्नत करते हुए नियमित रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– यह पदोन्नति आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।

3– उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
शैलेश कुमार तिवारी,
उप सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

12 मार्च, 2025 ई0

सं0 285 / 81-1-2025–प्रान्तीय वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी तालिका के कालम 4 में उल्लिखित तिथि से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगे–

क्र0 स0	अधिकारी का नाम	जन्मतिथि	सेवा-निवृत्त की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1.	मुहम्मद अकबर	06.11.1964	30.11.2024
2.	संजीव कुमार सक्सेना	01.12.1965	30.11.2025
3.	प्रसिद्ध नारायण राय	01.03.1965	28.02.2025
4.	प्रवीण खरे	20.02.1965	28.02.2025
5.	देवेन्द्र सिंह यादव	01.03.1965	28.02.2025
6.	संजय कुमार श्रीवास्तव	16.02.1965	28.02.2025
7.	जय प्रकाश सिंह	05.03.1965	31.03.2025
8.	अशोक कुमार सिंह	03.03.1965	31.03.2025
9.	संजय कुमार रस्तोगी	10.03.1965	31.03.2025
10.	अशोक कुमार	01.04.1965	31.03.2025
11.	पियूष मोहन श्रीवास्तव	19.04.1965	30.04.2025
12.	अबू अरशद खाँ	13.05.1965	31.05.2025
13.	माता बक्स सिंह	01.06.1965	31.05.2025
14.	राकेश कुमार सिंह	17.06.1965	30.06.2025
15.	अनिल कुमार द्विवेदी	01.07.1965	30.06.2025
16.	अरविन्द राज मिश्रा	10.06.1965	30.06.2025
17.	दिलीप कुमार	30.06.1965	30.06.2025
18.	राज कुमार चाँदना	04.06.1965	30.06.2025
19.	कुंज मोहन वर्मा	20.06.1965	30.06.2025

1	2	3	4
	सर्वश्री–		
20.	सत्य प्रकाश सिंह	15.07.1965	31.07.2025
21.	प्रमोद कुमार	04.09.1965	30.09.2025
22.	हरी लाल	30.10.1965	31.10.2025
23.	साजिद अली	01.01.1966	31.12.2025

2– उक्त तालिका के क्रमांक-1 पर अंकित श्री मुहम्मद अकबर सहायक वन संरक्षक को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को, क्रमांक-3 पर अंकित श्री प्रसिद्ध नारायण राय, क्रमांक-4 पर अंकित श्री प्रवीण खरे, क्रमांक-5 पर अंकित श्री देवेन्द्र सिंह यादव एवं क्रमांक-6 पर अंकित श्री संजय कुमार श्रीवास्तव को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 28 फरवरी, 2025 को सेवानिवृत्त होने के क्रम में इनकी सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में कार्योत्तर आदेश प्रदान किये जाते है।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

वित्त (लेखा-परीक्षा) विभाग

अनुभाग-1

विज्ञप्ति/तैनाती

01 जनवरी, 2025 ई0

सं0 1/2025/1/838679/2025/10-24001(002)/1/2024-3–उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज की संस्तुति के अनुसार सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक (वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रुपये 56,100 से 177,500/-) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-4 में उल्लिखित रिक्त जनपद/संस्था/निदेशालय में तत्काल प्रभाव से एतदद्वारा पदस्थापित/तैनात किया जाता है–

क्रमांक	अधिकारियों के नाम	गृह जनपद	पदस्थापन/तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1.	अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रयागराज	चित्रकूट
2.	राधा कृष्ण जायसवाल	जौनपुर	संत कबीर नगर
3.	जगदीश नारायण दीक्षित	कानपुर नगर	इटावा
4.	विश्वनाथ सिंह	वाराणसी	सुलतानपुर
5.	रुद्र नारायण मिश्र	प्रयागराज	अमरोहा
6.	उमेश पाल सिंह	हरदोई	शामली
7.	संतोष कुमार ठाकुर	बिहार	बलिया

1	2	3	4
	सर्वश्री–		
8.	अखिल चन्देल	कानपुर नगर	पूरनपुर चीनी मिल, पीलीभीत
9.	राकेश रंजन राजू	बिहार	फर्रुखाबाद
10.	राजेश शुक्ल	अयोध्या	कन्नौज
11.	जीतेन्द्र प्रताप सिंह	मऊ	सहकारी दुग्ध संघ, गोण्डा
12.	कुमार विपिन सिंह	बिहार	ललितपुर
13.	विनोद कुमार	प्रयागराज	महोबा
14.	गयानन्द झा	बिहार	निदेशालय

2– उक्त अधिकारियों को पदोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत माना जायेगा।

3– उक्त पदोन्नत अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती जनपद/स्थान पर तत्काल कार्य-भार ग्रहण कर कार्य-भार प्रमाणक शासन एवं निदेशक सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायेंगे।

4– उक्त अधिकारियों को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश, सहकारी और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली, 2015 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

5– उक्त अधिकारियों को अगले माह का वेतन उनकी नवीन तैनाती स्थान से आहरित होगा।

आज्ञा से,
समीर,
विशेष सचिव।

वित्त (सामान्य) विभाग

अनुभाग-2

विज्ञप्ति

विविध

11 फरवरी, 2025 ई0

सं0 2/2025/जी-2-22/दस-2025-59/81–जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स, 1985 के नियम-11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम-11(1) तथा उत्तर प्रदेश, कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार महामहिम राज्यपाल घोषित करती हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस फण्ड के अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 7.1 प्रतिशत (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से लागू होगी।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

FINANCE (GENERAL) DEPARTMENT

SECTION-2

Notification

Miscellaneous

11 *February*, 2025

No. 2/2025/G-2-22/X-2025-59-81–In Accordance with the provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules And Rule 9 of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Hon'ble Governor is pleased to Announce that the rate of interest on deposits And Also on the balance of the Credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh) Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh)And the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 7.1 (seven point one percent) with effect from 1st January, 2025 to 31st March, 2025 during the Financial year 2024-2025, on All Accounts. This rate will be in force *w.e.f.* 1st January, 2025.

By Order,
Deepak Kumar,
Additional Chief Secretary.

गोपन-विभाग

अनुभाग-1

अधिसूचना

07 मार्च, 2025 ई0

सं0 100/25-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–श्री प्रवीण कुमार गिरि, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2025 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्य-भार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-1

Computer No. 1757353

विज्ञप्ति/नोशनल प्रोन्नति

27 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/892775/2025–श्री अनिल कुमार राम त्रिपाठी (ज्येष्ठता क्रमांक-1642), को शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03–10–2024 द्वारा संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद से प्रोन्नत करते हुए अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील), राज्य कर, जौनपुर के पद पर तैनात किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत उक्त श्री अनिल कुमार राम त्रिपाठी को उनके आसन्न कनिष्ठ श्री प्रशान्त कुमार-I (ज्येष्ठता क्रमांक-1646) की अपर आयुक्त ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति की तिथि 01 जुलाई, 2024 से अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,700/- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर एतद्द्वारा नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

3– नोशनल पदोन्नति अवधि में उक्त पद का कार्य न करने के कारण 'नो वर्क नो पे' के सिद्धांत के आधार पर श्री त्रिपाठी को उस अवधि के वेतन एरियर व अन्य भत्ते देय नहीं होंगे

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1
विज्ञप्ति/पदोन्नति
04 फरवरी, 2025 ई0

सं0 I/870530(1)/38-1001(002)/5/2024–उत्तर प्रदेश, प्रादेशिक विकास सेवा-संवर्ग में पे. मैट्रिक्स लेवल 11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री अजय कुमार पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी, जनपद-सुलतानपुर को कार्य-भार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/वरिष्ठ उपायुक्त/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त

आयुक्त पे. मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर पदोन्नति के आदेश श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री अजय कुमार पाण्डेय की नवीन तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव।

गृह (पुलिस-सेवायें) विभाग

अनुभाग-1
कम्प्यूटर संख्या-1096195
विज्ञप्ति/प्रोन्नति
16 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 2419/छःपु0से0-1-2024–चयन वर्ष 2020-21 में प्रान्तीय पुलिस सेवा-संवर्ग में विशेष श्रेणी दो में उपलब्ध रिक्तियों पर चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में पात्रता सूची में सम्मिलित अधिकारियों को समस्त सेवा अभिलेखों एवं मूल चरित्र पंजियों के अवलोकनोपरान्त चयन समिति द्वारा वर्गीकृत किया गया। कार्यवृत्त के क्रमांक 17 पर श्री अजय प्रताप के विरुद्ध कार्यालय आदेश दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा स्वीकृत अभियोजन में दिनांक 18 नवम्बर, 2011 को मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल की सूचना अंकित होने के कारण श्री अजय प्रताप का मुहरबंद लिफाफा बन्द करते हुए पद आरक्षित कर दिया गया।

2– इस सम्बन्ध में श्री अजय प्रताप द्वारा प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-2895/2024 अजय प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश, राज्य व 03 अन्य योजित की गयी। मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2024 को पारित किये गये आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है–

"In the facts and circumstances of the case and with the consent of learned counsel for the parties, the present petition has been disposed of directing the petitioner to move fresh representation before the respondent No.1 Alongwith certified copy of this Order within A Period of three weeks. In case, the

petitioner will file fresh representation within the aforesaid period, the respondent No.1 will pass Appropriate Orders on the same most expeditiously And preferably within A period of four weeks thereafter strictly in Accordance with law."

श्री अजय प्रताप द्वारा उक्त आदेश के क्रम में प्रत्यावेदन के माध्यम से विभिन्न आधारों पर कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति की माग की गयी है।

3– मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदन में उल्लिखित विभिन्न आधारों से सम्बन्धित तथ्यात्मक विवरण सहित श्री अजय प्रताप को प्रोन्नति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव चयन्न समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा पूर्व में प्रोन्नति से सम्बन्धित बन्द लिफाफे को खोला गया। विभागीय चयन समिति की दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न बैठक में चयन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री अजय प्रताप को उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान 37,400-67,000 ग्रेड पे-8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु0 1,23,100–2,15,900) के पद पर प्रोन्नत प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी।

4– अतः विभागीय चयन समिति की उक्त बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में श्री अजय प्रताप को उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान 37,400-67,000 ग्रेड पे-8,700 पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) के पद पर प्रोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
डा0 संजीव गुप्ता,
सचिव।

परिवहन-विभाग

अनुभाग-3

विज्ञप्ति / नियुक्ति

10 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 112 / 2024 / 2682 / तीस-3-2024–परिवहन आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत श्री प्रेम सिंह, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की संस्तुति के आधार पर निर्देश याचिका संख्या-1430 / 2023 प्रेम सिंह बनाम प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन व अन्य में मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उनसे आसन्न कनिष्ठ कार्मिक श्री नरेन्द्र यादव की प्रोन्नति की तिथि से वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/-, ग्रेड पे वेतन रु0 5,400/- (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/-) में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान) में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2– श्री प्रेम सिंह, नवप्रोन्नत सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रोन्नति के फलस्वरूप 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है। श्री सिंह की पारस्परिक ज्येष्ठता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर यथासमय यथानियम बाद में निर्धारित की जायेगी। श्री सिंह की पदोन्नति के प्रकरण से सम्बन्धित यदि कोई प्रत्यावेदन / विभागीय कार्यवाही याचिका लम्बित हो तो, उसमें पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3– श्री प्रेम सिंह के तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

4– श्री सिंह उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

23 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 116/2024/2742/30-3-2024-69जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत डा0 राजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, उप परिवहन आयुक्त को नियमित चयनोपरान्त अपर परिवहन आयुक्त (ग्रेड पे रु0 8,900/- पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— डा0 राजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 117/2024/2818/30-3-2024-69जीई/2017—परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्रीमती सुनीता वर्मा, उप परिवहन आयुक्त को नियमित चयनोपरान्त अपर परिवहन आयुक्त (ग्रेड पे रु0 8,900/- पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— श्रीमती सुनीता वर्मा की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

(प्रोटोकाल-अनुभाग)

कार्यालय-ज्ञाप

02 दिसम्बर, 2024 ई0

सं0 813/वि0स0/प्रोटोकाल/06 (प्रो0)/2017—उत्तर प्रदेश, विधान सभा के निम्नलिखित मा0 सदस्य ने अपने स्थानीय पते में संशोधन की सूचना निम्नवत् दी है, जिसे तद्नुसार विधान सभा के अभिलेखों में अंकित कर लिया है—

क्र0 सं0	मा0 सदस्य का नाम, निर्वाचन क्षेत्र/संख्या व जिला	डाक का पता	स्थानीय पता
1	2	3	4
1	ई0 सचिन यादव, 96, जसराना, फिरोजाबाद	—	सी-12, बटलर पैलेस, बटलर कालोनी, लखनऊ।

आज्ञा से,
कैप्टन मनीष चन्द्र राय,
मार्शल।

पी0एस0यू0पी0—37 हिन्दी गजट—भाग 1—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 दिसम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

ललितपुर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

आकार पत्र-1

28 जून, 2023 ई0

सं0 2084/आठ-एल0ए0सी0-पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, आलोक सिंह, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	पाली	बालावेहट	पाली ग्राम सभा पाली	1218 मि0	0.202 हेक्टेयर	श्रेणी 5-3-ड़/जो अन्य कारणों से अकृषित हो।/बंजर	राजकीय पशु चिकित्सालय, पाली के भवन निर्माण हेतु पशु पालन विभाग के पक्ष में।

आलोक सिंह,
जिलाधिकारी ललितपुर।

19 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 331/आठ-एल0ए0सी0-वि0उपकेन्द्र(2024-25)–शासनादेश संख्या-258/16(1)/1973/राजस्व-1 दिनांक 07 मई, 1981 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-28/741/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी, ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 सितम्बर, 1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा /स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	प्रकृति विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	तालवेहट	तालवेहट	रामपुर ग्राम सभा सेरवांसकलां	507/8 मि0	0.303 हेक्टेयर	6(4)/ पत्थर भूमि	33/11के0वी0 विद्युत उप केन्द्र, सेरवांसकलां की स्थापना हेतु दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के पक्ष में 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दिये जाने बावत् (जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर बढ़ाया जायेगा।)

24 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 490/आठ-एल0ए0सी0-भूमि पुर्न0(2023-24)–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अक्षय त्रिपाठी, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव गांवसभा / स्थानीय प्राधिकारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण-प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ललितपुर	मडावरा	मडावरा	छपरा ग्राम सभा मडावरा	217क मि0	0.040 हेक्टेयर	श्रेणी 5-1 / नई परती	पुलिस क्षेत्राधिकारी, मडावर के आवास निर्माण हेतु पुलिस विभाग के पक्ष में निःशुल्क।

अक्षय त्रिपाठी,
जिलाधिकारी, ललितपुर।

मेरठ के जिलाधिकारी की आज्ञायें

भूलेख अनुभाग

आदेश

27 सितम्बर, 2024 ई0

सं0 840 / सात-डी0एल0आर0सी0 / पुन0 / 2024–शासनादेश संख्या-744 / एक-1 / 2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या 740 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार पुनर्ग्रहण उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी सरधना द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव दिनांक 04 जुलाई, 2024 के क्रम में पुलिस थाना एण्टी करप्शन की स्थापना हेतु गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखता हूँ–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	सरधना	दौराला	मुकर्रबपुर पल्हैडा,	609 / 5	0.3000 हेक्टेयर अर्थात् 3000 वर्ग मीटर	बंजर	गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए पुलिस थाना एण्टी करप्शन की स्थापना हेतु

अधिसूचना

26 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 933 / सात-डी0एल0आर0सी0 / औ0गलि0 / 2024—उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित आख्या दिनांक 23 सितम्बर, 2024 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ द्वारा निर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या-688 / एक-1-2020-20(5) / 2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी मेरठ ग्राम बिजौली, परगना सरावा, तहसील व जिला मेरठ स्थित तालाब श्रेणी-6(1) की भूमि खसरा संख्या-488 क्षेत्रफल 0.1520 हे0, खसरा संख्या-1089 / 1245 क्षेत्रफल 0.0510 हे0 तथा खसरा संख्या-1152 क्षेत्रफल 0.0510 हे0, कुल नम्बरान-3 कुल रकबा 0.2540 हे0 के उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा निर्मित किये जा रहे औद्योगिक गलियारा परियोजना के अन्तर्गत आ जाने के कारण शासनादेश संख्या-744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 के प्रस्तर-5(6) में दी गयी व्यवस्थानुसार भूमि खसरा संख्या-865क मि0 रकबा 0.3290 हे0 के 0.3175 हे0 श्रेणी-5-3(ड) बंजर भूमि स्थित ग्राम बिजौली जो वर्तमान तालाब भूमि का 125 प्रतिशत है, को तालाब के रूप में आरक्षित करने एवं उक्त भूमियों के परस्पर श्रेणी परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता हूँ।

श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त भूमि खसरा संख्या-488 रकबा 0.1520 हे0, खसरा संख्या 1089/1245 रकबा 0.0510 हे0, खसरा संख्या-1152 रकबा 0.0510 हे0 कुल नम्बरान-3 कुल रकबा 0.2540 हे0 स्थित ग्राम बिजौली, परगना सरावा, तहसील व जिला मेरठ को शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता, 2006 की धारा (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उत्तर प्रदेश, शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-578/एक-1-2023-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार औद्योगिक गलियारा परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू0पी0डा0) के पक्ष में निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ–

1– उक्त भूमियों के श्रेणी परिवर्तन/पुनर्ग्रहण की कार्यवाही अपरिहार्य स्थितियों में की जा रही है।

2– यू0पी0डा0 को भूमि का हस्तान्तरण कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) संख्या-578/एक-1-2023-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में निःशुल्क किया गया है।

3– भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

4– लोक प्रयोजन की भूमि के श्रेणी परिवर्तन का आदेश प्राप्त होने पर अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में उप जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा पूर्ण करायी जायेगी।

5– इस आदेश की प्रति कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट्ट पर, तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायी जायेगी तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

6– उक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

22 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 998/सात-डी0एल0आर0सी0/पुन0/2024–शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता-2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या 740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दीपक मीणा, जिलाधिकारी-मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध

कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव दिनांक 16 फरवरी, 2024 के क्रम में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखता हूँ–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
मेरठ	मेरठ	मेरठ	किनानगर	790मि0	0.0510	बंजर	आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निवर्तन पर रखते हुए राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु।

दीपक मीणा,
जिलाधिकारी, मेरठ।

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 दिसम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

तारीख 27 दिसम्बर, 2024 ई0
06 पौष, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0-वि0स0/1/2022(लख0)–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2022 की निर्वाचन याचिका संख्या-1 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, (लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ) के दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th December, 2024*
06 Pausha, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/U.P.-L.A./1/2022(Luck.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 25th

November, 2024 of the High Court of Judicature at Allahabad (Lucknow Bench, Lucknow) in Election Petition No. 1 of 2022.

By Order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,
CHANDRA SHEKHER,
Special Secretary.

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:78139

Court No. – 7

Case :- ELECTION PETITION No. - 1 of 2022

Petitioner :- Shiv Murti
Respondent :- Election Commission Of India Thru. Chief Election Commission And 5 Others
Counsel for Petitioner :- Vivek Abhir,Amit Kumar Gupta
Counsel for Respondent :- Kaushlendra Yadav,A.S.G.I.,Abhinav Trivedi,C.S.C.

Hon'ble Pankaj Bhatia,J.

Order on I.A. No.06 of 2024

1. Heard Sri Rudra Vikram Singh, learned Counsel for the applicant as well as learned Standing Counsel and Sri Devendra Upadhayay, learned Counsel appearing on behalf of respondent no.6.

2. The aforesaid application has been filed seeking withdrawal of the election petition.

3. The contention of the Counsel for the applicant is that during the pendency of the election petition, the opposite party no.6 got elected as Member of Parliament and as such, he resigned from the post of Member of Legislative Assembly, hence the election petition has rendered infructuous.

4. Directions were issued for service of application upon the opposite parties along with a publication. The Office report indicates that notices could not be served on the opposite party no.6, however, it has been stated that the same has been published in daily newspapers "Dainik Jagran" on 18.05.2022. No objections to the application has been filed. The applicant is the sole petitioner in the election petition.

5. In view of the publication and there being no objection, the application is allowed. The election petition is dismissed as withdrawn.

Order Date :- 25.11.2024

akverma

By Order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,
CHANDRA SHEKHER,
Special Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

तारीख 27 दिसम्बर, 2024 ई0 / 06 पौष, 1946 (शक्)

अधिसूचना

सं0 82/उ0प्र0-वि0स0/8/2022(लख0)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 2022 की निर्वाचन याचिका संख्या-8 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, (लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ) के दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
पवन दीवान,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *27th December, 2024* / *06 Pausha, 1946 (Saka)*

NOTIFICATION

No. 82/U.P.-L.A./8/2022(Luck.)–In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgement dated 25th November, 2024 of the High Court of Judicature at Allahabad (Lucknow Bench, Lucknow) in Election Petition No. 8 of 2022.

By Order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,
CHANDRA SHEKHER,
Special Secretary.

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:78151

Court No. - 7

Case :- ELECTION PETITION No. - 8 of 2022

Petitioner :- Gorakh Nath

Respondent :- Awadhesh Prasad And 5 Others

Counsel for Petitioner :- Vivek Abhir, Amit Kumar Gupta,Atul

Kumar Dwivedi, Manish Mishra,Sandeep Yadav

Counsel for Respondent :- Ashok Kumar Srivastava,Devendra

Upadhyay, Dileep Kumar Yadav, Sunil Kumar Srivastava

Hon'ble Pankaj Bhatia,J.

Order on I.A. No.06 of 2024

1. Heard Sri Rudra Vikram Singh, learned Counsel for the applicant as well as learned Standing Counsel and Sri Devendra Upadhayay, learned Counsel appearing on behalf of respondent no.1.

2. The aforesaid application has been filed seeking withdrawal of the election petition.

3. The contention of the Counsel for the applicant is that during the pendency of the election petition, the opposite party no.1 got elected as Member of Parliament and as such, he resigned from the post of Member of Legislative Assembly, hence the election petition has rendered infructuous.

4. Directions were issued for service of application upon the opposite parties along with a publication. The Office report indicates that notices could not be served on the opposite party no.1, however, it has been stated that the same has been published in daily newspapers "Dainik Jagran" on 18.05.2022. No objections to the application has been filed. The applicant is the sole petitioner in the election petition.

5. In view of the publication and there being no objection, the application is ***allowed***. The election petition is ***dismissed*** as withdrawn.

Order Date :- 25.11.2024
Akverma.

By Order,
PAWAN DIWAN,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,
CHANDRA SHEKHER,
Special Secretary.

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0–56 निर्वाचन–10.12.2025–25 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 13 दिसम्बर, 2025 ई० (अग्रहायण 22, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE
No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.
By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, बस्ती

अधिसूचना

19 फरवरी, 2025 ई0

सं0 5356/न0पा0प0ब0/जलकल अनु0/2024–25 दिनांक 11.12.2024 नगर पालिका परिषद्, बस्ती के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आनसाइट व्यवस्था के अपशिष्ट (फीकल, स्लज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल) के डी-स्लजिंग, परिवहन एवं ट्रीटमेंट तत्सम्बन्धी और प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक मामलों के लिये निम्नलिखित उपनियमावली (विनियम)/उपविधि बनाती है। जिसके अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, बस्ती के मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2024 में पारित प्रस्ताव संख्या-03 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस पर दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं भारतीय बस्ती में क्रमशः दिनांक 15 दिसम्बर एवं दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 में इस उपविधि पर किसी व्यक्ति को आपत्ति एवं सुझाव हो तो प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के 30 दिन के अन्दर नगर पालिका परिषद्, बस्ती के कार्यालय में आपत्ति दर्ज

कराने हेतु समय दिया गया। निर्धारित समयावधि 30 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुई। अतः यह उपविधि निर्धारित राजकीय गजट में नगर पालिका परिषद्, बस्ती में प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

प्राधिकार– ये उपविधि निम्नलिखित प्रावधानों को लागू करने वाला सक्षम ढांचा है–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019

(ख) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति, 2017

(ग) सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 मैनुअल ऑन सीवरेज और फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन 2013

(घ) मॉडल निर्माण उपविधि, 2016 तथा अन्य लागू भवन उपविधि

(ङ) प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऐज़ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन ऐक्ट-2013

(च) आई0एस0 कोड 2470 भाग-I और II, 1985 (1996 रीअफर्म्ड)-सेप्टिक टैंक संस्थापित करने के लिए कार्य व्यवहार संहिता

(छ) केंद्रीय कानून, नियम और विनियमन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज) जल (प्रदूषण पर रोक और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ) उत्तर प्रदेश के राजकीय कानून जैसे जल और स्वच्छता संबंधी, जैसे कि यू0पी0 जल आपूर्ति एव सीवरेज अधिनियम, 1975, उत्तर प्रदेश जल संस्थान जलापूर्ति एवं सीवरेज उपविधि, 2008 तथा अन्य कोई प्रासंगिक राजकीय कानून।

क्षेत्र (स्कोप)–

ये उपविधि नगर पालिका परिषद्, बस्ती की प्रशासनिक सीमा के भीतर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन में संलग्न सभी हितधारकों पर लागू होते हैं, जिसमे सेप्टिक टैंक वाले घरों के मालिक एवं उपयोगकर्ता, सेप्टिक टैंक सफाई ऑपरेटर तथा निकाय के उपचार और निस्तारण में संलग्न जवाब देह एजेंसियां शामिल हैं। यह उपविधि सभी सार्वजनिक, निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, प्रस्तावित, नियोजित या निकाय नगर पालिका परिषद्, बस्ती भवनों पर लागू होगा।

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1– संक्षेप– शीर्षक, विस्तार और आरंभ–

(i) इन उपविधियों को नगर पालिका परिषद्, बस्ती फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) उपविधि, 2019 कहा जा सकता है।

(ii) ये उपविधि उत्तर प्रदेश राज-पत्र (गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से नगर पालिका परिषद्, बस्ती क्रियान्वित होंगे और निकाय की प्रशासकीय परीसीमा के अंदर लागू होंगी।

2– परिभाषा–

"एक्सेस कवर" का अर्थ है निरीक्षण, सफाई तथा अन्य रखरखाव कार्य हेतु सेप्टिक टैंक/पिट में अंदर जाने के लिए छेद या रास्ता जिसको ढक्कन या आवरण से बंद किया हो।

"अपेलेट बॉडी" नगर पालिका परिषद् बस्ती, शहरी स्वच्छता समिति, और/या, कोई अन्य सम्बन्धित प्रासंगिक अधिकृत समिति के सदस्यों से मिल कर बना एक समूह है जिसका उद्देश्य उपविधियों से सम्बन्धित किसी भी विवाद, अपील या मुद्दे का संबोधन करना है।

"फीकल स्लज या सेप्टेज का को-ट्रीटमेंट" उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सीवेज उपचार सुविधा (एस0टी0पी0) में, शहरों के सीवर के जरिए से ले जाने वाले घरेलू सीवेज के उपचार के अलावा, विभिन्न ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियों के फीकल स्लज और सेप्टेज (एफ0एस0एस0) का भी उपचार किया जाता है।

"को-ट्रीटमेंट फैसिलिटी" का तात्पर्य है ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें फिकल स्लज के उपचार के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हो।

"विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार (DWWT) प्रणाली" का तात्पर्य है ऐसी पद्धति से है जिसमें निजी आवासों, आवासीय संकुलों, एकल समुदायों, उद्योगों, संस्थानों या उत्पादन स्थल के निकट अपशिष्ट जल का संग्रहण, उपचार किया जाता है और निस्तारण/दुबारा इस्तेमाल योग्य बनाया जाता है। ये प्रणाली अपशिष्ट जल के तरल और ठोस दोनों घटकों के लिए प्रयुक्त होते हैं।

"नियुक्त अधिकारी" निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे (अधिशासी अधिकारी) द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अथवा उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

"डिस्लजिंग" का तात्पर्य है लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मचारियों द्वारा सेप्टिक टैंक/पिट से फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की प्रक्रिया।

"निस्तारण" का तात्पर्य है फीकल स्लज एवं सेप्टेज का अधिसूचित स्थान तक परिवहन एवं निर्वहन।

"एफ्लूयंट" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अधिप्लावी (द्रव)।

"फीकल स्लज एवं सेप्टेज" का तात्पर्य है सेप्टिक टैंक अथवा ऑनसाइट सेनिटेशन प्रणालियों में जमी हुई या नीचे बैठी हुई सामग्री।

"फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)" का तात्पर्य है सुरक्षित निस्तारण और दुबारा इस्तेमाल के निर्धारित मानदंड के अनुदार ठोस और तरल घटकों को हटाने वाला स्वतंत्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार संयंत्र।

"ग्रे वाटर" का तात्पर्य है घरेलू अपशिष्ट जल से है जिसमें मानव मल नहीं होता। यह घर की सफाई से निकला पानी, रसोई और स्नानघर का पानी हो सकता है।

"होस्ट यूएलबी" का तात्पर्य है वह निकाय जो उपचार संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है और जो संयंत्र में निकटवर्ती निकाय के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को उपचार की अनुमति देता है। अपनी अधिकतम क्षमता को हासिल करने तक होस्ट निकाय 'होस्ट' बना रहेगा।

"ईनसैनिटरी लेट्रिन्स" का तात्पर्य उन शौचालयों से है जहां रात की मिट्टी (मल-कीचड़) को किसी मानव या जानवरों द्वारा ढोया या हटाया जाता है, तथा मल कीचड़ को खुली नालियों या गड्ढों में डाल दिया जाता है।

"लाइसेंस" का अर्थ है किसी व्यक्ति को दी गई लिखित अनुमति, जिसकी मंशा फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं को पूरा करना होती है, जिसमें उद्देश्य, समय अवधि, नाम, पता और मार्ग आदि का उल्लेख निकाय के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाता है।

"लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर" (लाइसेंसधारी) का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"अधिसूचित स्थान" का अर्थ होता है निकाय द्वारा परिभाषित और निर्धारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज की आपूर्ति और निस्तारण का स्थान।

"ऑनसाइट सेनिटेशन सिस्टम (ओ0एस0एस0)" ऐसी स्वच्छता प्रणाली है जो पूरी तरह से निजी/व्यावसायिक /सरकारी आवास और उसके आस-पास के भूखंड पर स्थित होता है। आमतौर पर, भूखंड पर स्वच्छता 'घरेलू शौचालय' के समान है, लेकिन इसमें एक ही भूखंड पर एक साथ रहने वाले कई परिवारों द्वारा साझा की जाने वाली सुविधाएं हो सकती हैं।

"ऑपरेटर" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने और उसके परिवहन के व्यवसाय में संलग्न है।

"मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो निकाय की सीमा के भीतर स्थित किसी भवन या उसके किसी हिस्से का मालिक हो।

"व्यक्ति" का तात्पर्य एक एसे व्यक्ति से है एक एजेंसी, एक ट्रस्ट, एक समाज, एक फर्म या एक कंपनी को संदर्भित करता है प्रासंगिक कानूनों के तहत निगमित कंपनी, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्ति का एक निकाय चाहे निगमित हो या नहीं।

"सैनिटरी लेट्रिन्स" का अर्थ होगा सेप्टिक टैंक अथवा कोई ओ0एस0एस0 अथवा भूमिगत सीवरेज प्रणाली से जुड़े शौचालय और मूत्रालय के प्रकार और बनावट जो मल (अपचित मलमूत्र) के सुरक्षित परिरोधन और निस्तारण को सुनिश्चित करता हो, जिनमें से प्रत्येक का निर्माण निकाय द्वारा जारी किए गए डिजाइन विनिर्देश और दिशानिर्देश के अनुरूप नियमानुसार किया गया हो।

"सेप्टिक टैंक" भूमिगत निर्मित टैंक है जो आंशिक रूप से ठोस जमाव और अवायवीय पाचन के संयोजन द्वारा आंशिक रूप से फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार करता है, जिसका निर्माण आई0एस0 कोड 2470 के डिजाइन विनिर्देश या निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

"शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" का अर्थ है केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सी0पी0एच0ई0ई0ओ0) की अनुशंसाओं के आधार पर 2-3 वर्षों के अंतराल पर ओ0एस0एस0 को नियमित रूप से खाली कराने की प्रक्रिया।

"सेप्टेज" का अर्थ है अच्छी तरह डिजायन किए हुए सेप्टिक टैंक से निकलने वाला फीकल स्लज।

"सीवेज" का अर्थ है ब्लैक और ग्रे पानी का मिश्रण है जिसे सीवरों के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। इसे वेस्ट वॉटर/ यूज्ड वॉटर भी कहा जाता है।

"सीवर" वो प्रणाली (सीवर लाइन/पाइप लाइन) जिसके माध्यम से समुदाय के अपशिष्ट जल को बहाया जाता है।

"सीवेज पम्पिंग स्टेशन" का अर्थ होता है शहर में सीवर नेटवर्क के पंप-हाउस का भंडारण और संग्रह कक्ष, जहाँ से सीवेज यानी मल जल या अपवाह को निर्दिष्ट स्थान पर पंप करके भेजा जाता है।

"सीवेज उपचार संयंत्र" का अर्थ उस स्थान से है जहाँ सुरक्षित निस्तारण और दुबारा उपयोग के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार मल जल का उपचार किया जाता है।

"निकाय के प्रशिक्षित सफाई कर्मी" का अर्थ है निकाय के कर्मचारी या निकाय लाइसेंसी वैक्यूम टैंकर का इस्तेमाल कर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई करने या उसे खाली करने और ढुलाई के उद्देश्य के लिए निकाय द्वारा नियुक्त और प्रशिक्षित अनुबंधित अथवा काम पर लिए गए कर्मचारी।

"परिवहन या ढुलाई" का अर्थ है लाइसेंस धारी वाहन के माध्यम से (एफ0एस0एस0) निकालने के स्थान से निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित ढुलाई।

"उपचार" का अर्थ है प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए एफ0एस0एस0/मल जल/अपशिष्ट जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक और रेडियोलॉजिकल विशेषता या संरचना को बदलने के लिए तैयार की गई कोई वैज्ञानिक पद्धति या प्रक्रिया।

"उपचार सुविधा" का अर्थ होगा निकाय में विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के आधार पर बने अधिसूचित फीकल स्लज उपचार और निस्तारण हेतु निर्मित स्थल

"यूएलबी क्लस्टर" का अर्थ होगा होस्ट निकाय और इसके निकटस्थ यूएलबी/ग्राम पंचायत, जिन्हें शहर में स्थित उपचार संयंत्र में एफ0एस0 के सुरक्षित निस्तारण के लिए होस्ट निकाय जिसके साथ एम0ओ0यू0 की आवश्यकता होगी।

"निकाय पंजीकृत (वैक्युम) टैंक" का अर्थ ऐसे वैक्यूम टैंकर से है, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा करने हेतु निकाय द्वारा विधिवत पंजीकृत कराया गया हो, जिसे निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने हेतु निकाय द्वारा पंजीकृत किया गया हो।

"निर्वात टैंकर (वैक्यूम टैंकर)" ऐसा वाहन होता है जिसमें एक पंप और टंकी होती है, जिसे साइट पर स्वच्छता प्रणालियों से फीकल स्लज एवं सेप्टेज को वैक्यूम की मदद से खींचने के लिए बनाया गया है। इन वाहनों का उपयोग सेप्टिक टैंक से निकाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए भी किया जाता है।

"अपशिष्ट जल (वेस्ट वॉटर)/यूज्ड वॉटर" का अर्थ घरेलू/व्यावसायिक अथवा अन्य मानवीय गतिविधियों से निकले तरल प्रवाह से है, जिसमें शौचालय, रसोई और सफाई कार्य से निकला पानी, लेकिन इसमें विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल नहीं है। आमतौर पर इस तरह के प्रवाह को वर्षा-जल नालियों के माध्यम से बहाया है, इस प्रकार इसमें तूफानी जल भी शामिल होता है।

"कर्मी" का अर्थ है लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण के लिए नियुक्त व्यक्ति।

सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्ति जो इन उपविधियों में प्रयुक्त हुए हैं और जो इन उपविधियों में परिभाषित नहीं किए गए हैं और जो यहां ऊपर भी परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें अधिनियम में अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम या कानून के तहत क्रमशः उन्हें प्रदान किया गया है और उसके अभाव में उनका अर्थ वही होगा जो जलापूर्ति और मल जल उपचार/निस्तारन उद्योग में आमतौर पर समझा जाता है।

अध्याय-II

अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण

3–परिसर में अपशिष्ट जल का प्रबंधन और निस्तारण– निकाय में प्रत्येक संपत्ति के मालिक/अधिग्राही (जिसमें मौजूदा या प्रस्तावित, आवासीय और व्यावसायिक और अन्य शामिल हैं तथा इसी तक सीमित नहीं हैं) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उनके परिसर से अपशिष्ट जल को निम्नलिखित तरीके से किसी भी या किसी के संयोजन के माध्यम से उपचार या निस्तारण किया जाता है, अर्थात्:

1– यदि घर की सीमा से 30 मीटर की दूरी या उतनी दूरी जितनी दूर से सीवर कनेक्शन घर तक आ सकता हो, या घर का मालिक कनेक्शन लेने के लिए कोई शुल्क अथवा कोई और जरूरत के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण करा कर करे।

2– अपशिष्ट जल को एक निकाय अनुमोदित समुदाय या स्थानीय क्षेत्र उपचार सुविधा तक पहुंचाया जाता है।

3– यदि संपत्ति के 30 मीटर में कोई सीवर नहीं है, तो मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट जल को साइट की उपचार प्रणाली में ले जाया जाए, जिसमें सेप्टिक टैंक या ट्विन-पिट या सोक-पिट या साइट पर स्थित आई0एस0 कोड 2470 भाग 1 और 2 के अनुसार निर्मित अन्य प्रणाली शामिल हो सकती हैं। (देखें परिशिष्ट-1)।

4– वे परिपत्तियाँ जो प्रतिदिन 30 हजार लीटर से अधिक अपशिष्ट जल उत्पन्न करती हैं और उनके परिसर के भीतर 500 वर्ग मीटर से अधिक खुला क्षेत्र है, तो उसमें एक विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली स्थापित की जाए ताकि संपत्ति में एकत्र अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। संपत्ति के मालिक द्वारा बागवानी/फ्लशिंग के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग किया जाए ताकि ताजे पानी पर निर्भरता कम हो।

अध्याय-III

ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियाँ

4– मालिक या अभिग्राही के कर्तव्य और अनुपालन– निकाय के दायरे में स्थित किसी भवन या उसके हिस्से का मालिक या अभिग्राही, जैसा भी मामला हो, इन उपविधियों के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगे,

1– उपविधियों के अनुसार प्राधिकार द्वारा जारी सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर वह ऐसे भवन में इंसेनिटरी लेट्रिन्स उपयोग को बंद कर देंगे और निकटवर्ती सामान्य नालियों या खुले भूखंड या जल निकायों के सभी निर्गम को भी बंद कर देंगे तथा अपने स्वामित्व वाले या अपने उपयोग किए जाने वाले भवनों में केवल सेनिटरी लेट्रिन्स का निर्माण, संचालन और उनका रखरखाव करेंगे।

5– ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव–

1– ओ0एस0एस0 का डिजाइन, निर्माण और उनकी स्थापना 'आई0एस0 कोड 2470 भाग 1 और 2' के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, या इसके समय समय पर किए गए संशोधित प्रावधान अथवा नगर पालिका परिषद्, बस्ती या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य स्वीकृत उपयुक्त अभियांत्रिकी कार्य संहिता द्वारा संशोधित किया गया हो।

2– ओ0एस0एस0 से जुड़ी संपत्ति के मालिक/निवासी ऐसे ओ0एस0एस0 से निकलने वाले फीकल स्लज के अनुरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित निस्तारण के लिए जिम्मेदार होंगे।

3– परिसर का मालिक ''निकाय का नाम'' द्वारा निर्धारित लागत के भुगतान पर नियमित आधार पर (प्रत्येक 2-3 वर्ष में) फीकल स्लज साफ करने का काम करेगा। (अथवा जैसा कि परिशिष्ट 2 में सुझाया गया है)।

4– परिसर का मालिक सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट संयंत्र के खराब या दोषपूर्ण निर्माण के कारण फीकल स्लज के खुली जगहों में या नाली में गिरने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो।

5– परिसर के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टिक टैंक को लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, बस्ती के प्रशिक्षित स्वच्छता कर्मियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ यांत्रिक रूप से साफ किया जाता है और हाथ से सफाई ना हो।

6– नियमों के पालन के लिए नगर पालिका परिषद्, बस्ती या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार है। नगर पालिका परिषद्, बस्ती समय-सीमा के भीतर अपने खर्चे पर अपशिष्ट जल प्रबंधन और निस्तारण से सम्बन्धित नियम उल्लंघन की स्थिति में सुधार/संशोधन के लिए परिसर के मालिक के लिए चेतावनी जारी कर सकता है।

7– नगर पालिका परिषद्, बस्ती अपने विवेक पर, गैर-अनुपालन प्रणालियों के रेट्रोफिटिंग/सुधार के लिए संपत्ति मालिकों को प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और वैकल्पिक प्रणालियों का सुझाव देने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है।

अध्याय-IV

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण और ढुलाई के लिए लाइसेंस और पंजीकरण

6– निकाय द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस–

1– नगर पालिका परिषद्, बस्ती वर्तमान में अपनी प्रशासनिक सीमाओं में फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने की सेवाएँ प्रदान करने वाले निजी ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले या किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकरों को पंजीकृत करेगा।

2– नगर पालिका परिषद्, बस्ती अपने कर्मियों सहित ओपेरटरों के लिए आई0ई0सी0 और क्षमता निर्माण गतिविधियाँ करेगा, जहां उन्हें फीकल स्लज एवं सेप्टेज को सुरक्षित तरीके से खाली करने और ढुलाई के लिए उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जागरुक और प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण पंजीकरण की तिथि के 1 महीने के भीतर किया जाएगा।

3– जब ऑपरेटर को लगे कि वह लाइसेंसिंग के मानदंडों के अनुपालन में सफल है, तो वह इन उपविधियों के फॉर्म 1 (परिशिष्ट-4) की मदद से इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसे प्रशिक्षण के पूरा होने के 2 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

4– नगर पालिका परिषद्, बस्ती ऑपरेटर द्वारा अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज निकालने और फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा।

5– इन विनियमों के फॉर्म 2 (परिशिष्ट-5) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाएगा, और यदि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, और अवधि समाप्त होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा नियमों और शर्तों की पूर्ति के अधीन नवीकरणीय होगा।

7– लाइसेंस जारी करने की शर्तें–

1– लाइसेंस हासिल करने के पात्र आवेदक का अर्थ इन उपविधियों के खंड 2(.....) में परिभाषित "व्यक्ति" से होगा।

2– आवेदक को उचित सक्शन/वैक्यूम और डिस्चार्जिंग व्यवस्था के साथ रिसाव-मुक्त, गंध और छिलकाव रहित परिवहन वाहन का मालिक होना चाहिए या ऐसा वाहन उसे किराए पर लेना चाहिए।

3– नगर पालिका परिषद्, बस्ती में परिचालन के लिए वाहन का परिवहन विभाग द्वारा जारी वैध परमिट या पंजीकरण प्रमाण-पत्र होगा।

4– आवेदक अपने वैक्यूम टैंकर को नगर पालिका परिषद्, बस्ती के साथ पंजीकृत करेगा।

5– आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसके स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए वैक्यूम टैंकर इन विनियमों के खंड 16 में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

6– आवेदक का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि नगर पालिका परिषद्, बस्ती या उसके द्वारा किराए पर ली गई एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

7– आवेदक द्वारा कर्मियों को सुरक्षा उपस्कर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस रखा जाएगा, जो कि सुरक्षित रूप से फीकल स्लज निकालने, उसकी ढुलाई करने और अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हैं। जरूरी पी0पी0ई0 इस उपनविधि के परिशिष्ट-3 में दी गई सूची के अनुसार होगा।

8– लाइसेंस के लिए आवेदन– फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने, परिवहन और निपटान हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन एफ0एस0एस0 का निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इन उपविधियों के फॉर्म 1 के रूप में संलग्न है, जिसमें नियमों और शर्तों सहित ऐसे दस्तावेजों के साथ जैसा कि निकाय के नामित अधिकारी (परिशिष्ट-4 देखें) द्वारा निर्धारित किया गया हो। नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा सत्यापन एवं प्रशिक्षण के बाद ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान का लाइसेंस ऑपरेटर को दिया जायेगा (फॉर्म-2, परिशिष्ट-5)।

9– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रण– लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु नगर पालिका परिषद्, बस्ती संभावित आवेदकों को आमंत्रित करते हुए समय-समय पर अपनी वेबसाइट पर और प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

10– लाइसेंस के लिए पंजीकरण शुल्क– नए निजी ऑपरेटरों (फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाला) के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु पंजीकरण पूरा करने के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क (10.1 देखें) लिया जा सकता है। यह शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक या नगद स्वरूप में किया जा सकता है।

10.1– पंजीकरण के शुल्क और वैधता–

1– ऑपरेटर के रूप में नए निजी ऑपरेटरों को पंजीकृत कराने हेतु पंजीकरण शुल्क रु0 3,000/–

2– पंजीकरण की वैधता– पंजीकृत निजी ऑपरेटर, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क जमा करके अधिकतम 03 वर्षों तक शहर को अपनी सेवा दे सकता है। यदि निजी ऑपरेटर लाइसेंस नवीनीकरण करने में विफल रहता है तो उसका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा और यदि वह शहर की सीमाओं में फीकल स्लज हटाने वाली सेवाओं को फिर से शुरू करना चाहता है तो उसे पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

3– लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क लाइसेन्स शुल्क का दस प्रतिशत मात्र।

11– लाइंसेसधारी ऑपरेटर का विज्ञापन– नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा समय-समय पर अपनी वेबसाइट के साथ-साथ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाइंसेससुदा ऑपरेटर का व्यापक विज्ञापन दिया जाएगा।

12– जागरुकता अभियान– इन उपविधियों के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सफाई, ढुलाई और निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा लोगों को केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक बनाने का अभियान चलाए जाएगा।

अध्याय-V

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निष्कासन/संग्रहण (डीस्लजिंग) और परिवहन (ढुलाई)

13– संपत्ति के मालिक या अभिग्राही द्वारा केवल लाइंसेसधारी ऑपरेटर को काम पर रखा जाएगा।

1– भवन के प्रत्येक मालिक/अभिग्राही का यह दायित्व होगा कि वह फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई के लिए नगर पालिका परिषद्, बस्ती के लाइसेंसधारी ऑपरेटर अथवा प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की ही सेवाएं लें।

2– मालिक/अधिभोगी डीस्लजिंग सेवा से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी ऑपरेटर को प्रदान करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

14– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी/ढुलाई का शुल्क–

(i) समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई का शुल्क निकाय के नामित अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (परिशिष्ट 2 देखें)।

(ii) शहर में जब कभी नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा "शेड्यूल्ड डीस्लजिंग" पालन करने का फैसला किया जाता है, तो फीकल स्लज निकासी शुल्क को 'सफाई शुल्क' से बदल दिया जाएगा या इसे संपत्ति/जल कर में शामिल किया जा सकता है, जिसे नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर सम्पत्ति के मालिक/अभिग्राही से नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा समय-समय पर अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि नहीं वसूलेगा।

(iv) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी और ढुलाई कार्य के लिए अधिसूचित शुल्क से अधिक राशि मांगने पर लाइसेंस धारी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और इन उपविधियों के उल्लंघन के लिए निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।

15– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई के वाहन–

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और ढुलाई कार्य केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, बस्ती के प्रशिक्षित सफाई कर्मियों द्वारा ही किया जाएगा।

(ii) आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने पर भी वैक्यूम टैंकर को 1 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, सम्बन्धित ऑपरेटर को निश्चित समय सीमा के भीतर वैक्यूम टैंकर को समुन्नत अपग्रेड करना चाहिए।

(iii) डीस्लजिंग वाहनों का परिचालन फीकल स्लज एवं सेप्टेज की सुरक्षित और कुशल ढुलाई के लिए समय-समय पर नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा चिह्नित निर्दिष्ट मार्गों पर ही किया जाएगा।

(iv) ऑपरेटर को जारी लाइसेंस की एक प्रति और नगर पालिका परिषद्, बस्ती वाहन का पंजीकरण नंबर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहन पर स्पष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(v) वाहन/टैंकर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लाल रंग में (सावधानी के लिए) "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

(vi) फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई में प्रयुक्त प्रत्येक वाहन में जी0पी0एस0 उपकरण (नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा प्रदत्त) लगाया जाएगा और इसका एक्सेस अधिकार अधिशासी अधिकारी और ऐसे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा अधिसूचित एजेंसी के पास होगा।

16– ढुलाई के दौरान सावधानी– लाइसेंस धारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निस्तारण के लिए डीस्लजिंग स्थल से अधिसूचित स्थान तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज से कोई रिसाव या छलकाव न हो।

17– दुर्घटना की स्थिति में बचावकारी उपाय– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिए।

18– दुर्घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर की जिम्मेदारी– किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में लाइसेंसधारी ऑपरेटर किसी भी व्यक्ति, वाहन, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा और ऐसे में यदि किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा पीड़ितों/उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार के क्षति शुल्क या मुआवजा प्रदान किए जाने का निर्णय दिया जाता है तो उसका भुगतान उसे ही करना होगा।

19– नियुक्त कर्मियों के लिए सुरक्षा-उपाय– हाथ में रखकर इस्तेमाल होने वाले गैस-डिटेक्टर, गैस-मास्क, सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन-सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन-मास्क और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान सहित सभी सुरक्षा उपाय तथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 में निर्दिष्ट ऐसे अन्य उपाय उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऑपरेटर जिम्मेदार होगा।

20– फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण–

(i) लाइसेंसधारी ऑपरेटर नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करेगा।

(ii) लाइसेंस धारी ऑपरेटर इन उपविधि के फॉर्म 3 में निर्धारित विधिवत हस्ताक्षरित फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकासी और निस्तारण फॉर्म, जो विधिवत रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित हो, अधिसूचित स्थानों पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए नामित निकाय के अधिकारी के पास जमा करेगा (परिशिष्ट-6 देखें)।

(iii) होस्ट यू0एल0बी0 ये सुनिश्चित करेगा की उपचार सुविधा पर यू0एल0बी0 क्लस्टर या ग्राम पंचायत का पंजीकृत ऑपरेटर ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निस्तारण करे।

21– निकाय (उपचार सुविधा वाले) के अधिकार–

(i) निकाय किसी पास के निकाय या ग्राम पंचायतों के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) (परिशिष्ट 7, फॉर्म-4) पर हस्ताक्षर करेगा और इसके तहत केंद्र पर उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देने के लिए होस्ट यू0एल0बी0 बन जाएगा।

(ii) नगर पालिका परिषद्, बस्ती होस्ट यू0एल0बी0 से जुड़े यू0एल0बी0 क्लस्टर की सीमा के अंदर काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटर को उपचार सुविधा के परिचालन अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क और निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिबंधित किए गए वितरण मार्गों के बारे में सूचित करेगा।

(iii) नगर पालिका परिषद्, बस्ती वैक्यूम टैंकर की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उनपर नियंत्रण रखेगा।

(iv) संग्रहीत किए जाने वाले और उपचार सुविधा पर ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा किया जाएगा।

(v) होस्ट यू0एल0बी0 अन्य क्लस्टर यू0एल0बी0 या ग्राम पंचायत को फीकल स्लज एवं सेप्टेज की उस स्वीकार्य मात्रा के बारे में जानकारी देगा जिसे "उपचार सुविधा" में निस्तारित किया जा सकता है।

(vi) एम0ओ0यू0 अवधि के किसी भी समय, यदि "होस्ट यू0एल0बी0" को लगे कि क्लस्टर यू0एल0बी0/ग्राम पंचायत से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निस्तारित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति आने से पहले होस्ट यू0एल0बी0 कम से कम 15 दिन पहले इसकी सूचना देगा।

22– नगर पालिका परिषद् बस्ती (बिना उपचार सुविधा वाला) के कर्तव्य–

(i) नगर पालिका परिषद् बस्ती जिनके पास उपचार सुविधा नहीं है उस नगर पालिका परिषद्, बस्ती होस्ट यू0एल0बी0 के साथ समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर करेगा और होस्ट यू0एल0बी0 के पास उपलब्ध उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण के लिए क्लस्टर यू0एल0बी0 का सदस्य बनेगा।

(ii) नगर पालिका परिषद् बस्ती (जिनके पास उपचार संयंत्र नहीं है) अपने प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले (निजी/सरकारी) ऑपरेटरों को उपचार सुविधा की कार्य अवधि, निस्तारण प्रक्रिया, टिपिंग शुल्क (यदि कोई हो) निकाय द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट घंटों के दौरान विशिष्ट आपूर्ति मार्ग के जानकारी देंगे।

(iii) यदि नगर पालिका परिषद् बस्ती होस्ट यू0एल0बी0 के क्लस्टर यू0एल0बी0 की स्पष्ट सीमा में नहीं है, तो निकाय उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य के पास पहुंच सकता है और फीकल स्लज एवं सेप्टेज के लिए एक अंतरिम निस्तारण स्थल विकसित कर सकता है।

(iv) नगर पालिका परिषद्, बस्ती विनिर्दिष्ट वाहनों की गुणवत्ता और रखरखाव का निरीक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा।

(v) होस्ट यू0एल0बी0 संग्रहीत किए जाने और निर्दिष्ट निस्तारण स्थल तक ढोए जाने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगा।

(vi) यदि "होस्ट यू0एल0बी0" की क्षमता क्लस्टर यू0एल0बी0 के फीकल स्लज एवं सेप्टेज को निबटाने के लिए कम पड़ जाता है, तो नगर पालिका परिषद्, बस्ती को एक नए "होस्ट यू0एल0बी0" की खोज करनी चाहिए या नए "उपचार सुविधा" के निर्माण के लिए केंद्र के पास अनुरोध भेजना चाहिए।

23– कर्मियों का प्रशिक्षण– लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की फीकल स्लज निकासी, ढुलाई और निस्तारण में तैनात कर्मचारियों के सार्वाधिक प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

24– कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच– यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होगा कि प्रत्येक नियुक्त कर्मी का साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड निकाय को दिया जना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर लाइसेंसधारी ऑपरेटर को समय-समय पर अधिसूचित दण्ड का भुगतान करना पड़ सकता है।

25– बीमा– लाइसेंसधारी ऑपरेटर द्वारा काम पर रखे गए कर्मियों का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 और 2003 की रिट याचिका संख्या-583 (सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी, ढुलाई और निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 27 मार्च, 2014 के आदेश के तहत पीड़ितों अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले मुआवजे को कवर करने के लिए बीमा किया जाएगा।

26– लाइसेंस रदद् किया जाना– इन उपविधि सहित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास एक्ट, 2013 के किसी भी प्रवधान के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस धारी ऑपरेटर समय-समय पर अधिसूचित दण्ड के भुगतान करने का भागी होगा, जिसमें लाइसेंस रद्द किया जाना और निष्पादन गारंटी का अपहार शामिल है जो शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) अथवा विनिर्दिष्ट अधिकारी (अधिकारियों) की सिफारिश के मुताबिक होगा।

अध्याय-VI

फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार और पुनः उपयोग/निस्तारण

27– उपचार/निस्तारण स्थल की पहचान–

(i) नगर पालिका परिषद्, बस्ती उस स्थल (स्थलों) की पहचान करेगा और सूचित करेगा जहां लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर या नगर पालिका परिषद्, बस्ती के प्रशिक्षित सफाई कर्मी द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज का उपचार/निस्तारण किया जाएगा।

(ii) उपचार सुविधा के अभाव में नगर पालिका परिषद्, बस्ती आस पास के होस्ट यू0एल0बी0 जिसमें सुचारू उपचार सुविधा हो, उनके साथ समझौता ज्ञापन करके उसके सुविधा का इस्तेमाल करेगा (फॉर्म 4 परिशिष्ट-7)

(iii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण हेतु नगर पालिका परिषद्, बस्ती के आसपास के क्षेत्र में "क्लस्टर यू0एल0बी0" की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपचार के बुनियादी ढांचे (खण्ड-28) के निर्माण तक एक अंतरिम निस्तारण योजना का विकल्प चुना जा सकता है।

28– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का निर्माण– नगर पालिका परिषद्, बस्ती जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करेगा (यदि अनुप्रयोज्य हो तो आदर्श उपचार संयंत्र की व्यवस्था होने तक अंतरिम उपचार बुनियादी ढांचा भी) और पंजीकृत वाहनों द्वारा लाए गए फीकल स्लज एवं सेप्टेज के उपचार/निस्तारण की सुविधा के लिए अधिसूचित स्थल या स्थलों पर आवश्यक उपकरण प्रदान करेगा।

29– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति–

(i) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे सम्बन्धित उपचार सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों (लिंग-तटस्थ) को नियुक्त किया जाएगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा है यानी होस्ट यू0एल0बी0।

(ii) फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और इसे अंतरिम "उपचार सुविधा" में स्थानांतरित करने या इसे "होस्ट यू0एल0बी0" के "उपचार सुविधा" में भेजने के लिए निकाय प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर पर्याप्त कर्मचारी (किसी भी लिंग का हो सकता है) नियुक्त करेगा। यदि निकाय के पास उपचार सुविधा नहीं है यानी आप क्लस्टर यू0एल0बी0 का हिस्सा हैं,

30– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने का समय– नगर पालिका परिषद् बस्ती (या फिर यदि लागू हो तो होस्ट यू0एल0बी0), द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक अधिसूचित स्थल पर समय-समय पर नगर पालिका परिषद् बस्ती (या होस्ट यू0एल0बी0 लागू हो), द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त किया जाएगा।

31– औद्योगिक अपशिष्ट जिनकी अनुमति नहीं है– अधिसूचित स्थल पर औद्योगिक अपशिष्ट वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32– फीकल स्लज एवं सेप्टेज पर प्रशिक्षण– नगर पालिका परिषद्, बस्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अधिसूचित स्थल पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करने और उपचार/निस्तारण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

33– उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज का दुबारा इस्तेमाल– निकाय किसानों को अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज के कृषि अनुप्रयोग के स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उपचार सुविधा से उपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करेगा।

अध्याय-VII

प्रशासन और प्रवर्तन

34– प्रशासन और प्रवर्तन–

(i) इन नियमों की प्रशासनिक और प्रवर्तक शक्तियाँ अधिशासी अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के पास निहित है जिन्हें विधिवत तौर पर अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) नगर पालिका परिषद्, बस्ती फीकल स्लज की निकासी, ढुलाई या उपचार की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित और अधिसूचित उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर फीस) लगा सकता है। लागत वसूली सुनिश्चित करने के लिए,उपयोगकर्ताओं को इन सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

(iii) नगर पालिका परिषद्, बस्ती शहरी स्वच्छता समिति (C.S.C.) का गठन करेगा जो नगर पालिका परिषद्, बस्ती प्रशासनिक क्षेत्र में समग्र फीकल स्लज एवं सेप्टेज का पर्यवेक्षण और निगरानी सुनिश्चित करेगा।

(iv) नगर पालिका परिषद्, बस्ती फीकल स्लज एवं सेप्टेज की निकासी ढुलाई के लिए सुरक्षित तरीके सुनिश्चित करने के लिए एक इमरजेन्सी रिसपोंस सैनिटेशन यूनिट (ई0आर0एस0यू0) नियुक्त करेगा।

35– जांच के लिए विशेष शक्ति– इन उपविधियों के प्रभावी तरीके से लागू करने और प्रवर्तन के उद्देश्य से, नगर पालिका परिषद्, बस्ती के पास किसी भी समय किसी भी परिसर में, परिवहन वाहनों और फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपचार सुविधा के निरीक्षण की शक्ति होगी।

36– नियम उल्लंघन और जुर्माना–

(i) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को नियम अनुपालन के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

(ii) किसी भी व्यक्ति पर इन नियमों के तहत दण्डात्मक प्रावधान लागू होंगे, यदि ऐसा व्यक्ति– (क) इन उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका पालन करने में विफल रहता है, (ख) इन विनियमों के तहत किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी कर्तव्य निष्पादन में निकाय के एक अधिकृत अधिकारी या अन्य अधिकारी के काम में बाधा डालता है, या हस्तक्षेप करता है, (ग) किसी भी ओ0एस0एस0/सीवर की हाथ से फीकल स्लज निकासी की प्रक्रिया संचालित कराता है।

(iii) इन उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-8 में उल्लेखित राशि की सीमा तक दंडित किया जाएगा और उचित कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और जैसा भी मामला हो, दोषी पाए जाने की स्तिथि में एफ0एस0एस0 निकासी/ढोने के वाहन भी जब्त हो सकता है।

(iv) जो कोई भी, किसी भी मामले में, जिसमें दण्ड परिशिष्ट-8 में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, दोषी पाया जाता है, समय-समय पर निकाय का नाम द्वारा तय किए जाने वाले जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा। जुर्माने की धनराशि रु0 10,000.00 होगा।

(v) संदेह दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इन उपविधियों की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को उस समय लागू किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या इन उपविधियों के तहत दंडनीय कोई कार्य के लिए या चूक के लिए उसके तहत मुकदमा चलाने, दंडित करने से नहीं रोकेगा।

37– अपील– निकाय के अधिकृत अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इन उपविधियों के तहत नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के पास इस तरह के निर्णय के विरुद्ध अपील (इन उपविधियों के फॉर्म 5 में संलग्न प्रारूप में) कर सकता है (परिशिष्ट-9 देखें)

38– विवाद समाधान उपविधि– इन उपविधियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में उत्पन्न किसी भी विवाद का समाधान केवल शहर नगर पालिका परिषद्, बस्ती के अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय द्वारा भारतीय कानूनों के तहत किया जाएगा।

39– फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन– मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकाय के पास फीकल स्लज एवं सेप्टेज उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार होगा।

40– संदर्भ प्रलेख– उपविधियों के क्रियान्वयन और लागू करने में सुविधा के लिए, इन विनियमों के परिशिष्ट-10 में प्रदान किए गए मानकों, रणनीतियों, मैनुअल, दिशानिर्देशों और नीतियों की एक सूची का संदर्भ लिया जा सकता है।

41– डी-स्लजर के लिए सम्मान/पुरस्कार– अच्छे काम और व्यवहार के लिए निकाय समय-समय पर प्रेरित करने और समग्र प्रशंसा हेतु अच्छे प्रदर्शन के लिए फीकल स्लज निकासी (डी-स्लजिंग) ऑपरेटरों के लिए सम्मान/पुरस्कार समारोह आयोजित कर सकता है।

42– उपविधियों के लिए पूरक राज्य सरकार के निर्देश– इन उपविधियों के प्रवर्तन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-1

(खण्ड 2(xxiii), 3(iii) और 5(i) देखें)

सेप्टिक टैंक का डिजाइन– सेप्टिक टैंक स्थापित करने के लिए बी0आई0एस0 कार्य संहिता प्रदान करता है (आई0एस0 2470 [भाग 1,] 1985)। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए यह कुछ मान्यताओं के आधार पर डिजाइन मानदण्ड प्रदर्शित करता है। छोटे और बड़े क्षेत्रों के लिए यह आबादी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन इंस्टॉलेशन का विवरण प्रदान करता है। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन, एम0ओ0एच0यू0ए0 के अनुसंधान प्रभाग द्वारा प्रकाशित सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल के भाग ए में ओ0एस0एस0 पर व्यापक डिजाइन मानक दिए गए हैं। प्रचलित और सुरक्षित साइट स्वच्छता के लिए इस खण्ड में तकनीकों के मानक डिजाइन बताए गए हैं। साथ ही, भारत में सेप्टिक टैंक को आमतौर पर काले पानी के लिए ही हाईलाइट किया जाता है।

सेप्टिक टैंक के विनिर्देशन–

- आयताकार : लम्बाई और चौड़ाई का अनुपात : 2 से 4
- गहराई : 1.0 से 2.5 मी0 के बीच
- दो कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का 2/3
- तीन कक्ष : पहला कक्ष कुल लम्बाई का आधा
- मशीन-छेद (मैनहोल) प्रत्येक कक्ष के ऊपर
- निर्विवाद, टिकाऊ और स्थिर टैंक

सेप्टिक टैंक का अनुशंसित आकार–

उपयोग कर्ता की सं0	लम्बाई	चौड़ाई	द्रव की गहराई (सफाई अन्तराल)
1	2	3	4
	मीटर–	मीटर–	मीटर–
			दो वर्ष
5	1.5	0.75	1.05
10	2	0.90	1.40
15	2	0.90	2.00
20	2.3	1.10	1.80

नोट 1– सेप्टिक टैंक का आकार कुछ अनुमानों (तरल-प्रवाह) पर आधारित होता है, सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए, कृपया बी0आई0एस0 2470 (भाग 1), 1985 देखें।

नोट 2– फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी का प्रावधान रखना चाहिए।

स्रोत– सीवरेज और मलजल उपचार पर मैनुअल भाग-ए : इंजीनियरिंग। सी0पी0एच0ई0ई0ओ0, 2012

सेप्टिक टैंक की क्षमता– टैंक की क्षमता फीकल स्लज निकासी की अवधि को समझने में उपयोगी होती है, सेप्टिक टैंक की क्षमता मापने में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुएं है–

- अवसादन (सेडीमेंटेशन) : निलंबित ठोस पदार्थों के पर्याप्त अवसादन के लिए प्रत्येक 10 ली/मिनट की पीक दर से प्रवाह के लिए 0.92 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। आम तौर पर, अवसादन क्षेत्र की गहराई 0.3 मीटर होती है।
- फीकल स्लज डाइजेशन : डेऐजेशन जोन की क्षमता प्रति कैपिटा 0.032 होनी चाहिए।
- फीकल स्लज और मल भण्डारण : फीकल स्लज सफाई के 1 साल के अंतराल के लिए, एक फीकल स्लज भण्डारण क्षमता 0.0002* 365 =0.073 $m3$/कैपिटा की आवश्यकता होती है।
- फ्री बोर्ड : कम से कम 0.3 मी0

सेप्टिक टैंक का मानक डिजाइन

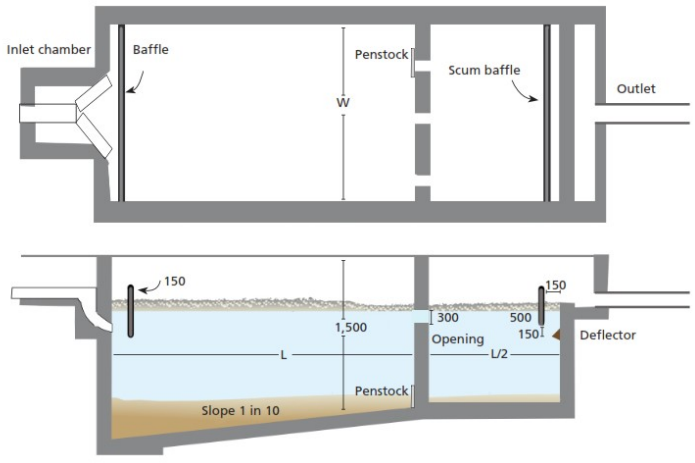

All measurements in millimetres (mm)
Source: Manual on Sewerage and Sewage Treatment—Part A: Engineering. CPHEEO, 2012

परिशिष्ट-2

(खण्ड 14 (i) और 5 (iii) देखें)

नगर पालिका परिषद्, बस्ती में फीकल स्लज निकासी और सेप्टेज की ढुलाई सेवा के लिए उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर-फीस) की सूची (अनुमानित)

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क की सीमा (प्रतिट्रिप 3,000 लीटर तक)
1	2	3
		रुपये–
1.	कच्चाघर / झोंपड़ी	350–450
2.	टिन शेड प्रकार का घर	750–850
3.	सभी अन्य घर (पक्का घर)	1,200–1,700
4.	दुकान	1,500–1,800
5.	सभी सरकारी / निजी कार्यालय	1,800–2,200
6.	बैंक	2,000–2,500
7.	सामुदायिक शौचालय / सार्वजनिक शौचालय	800–1,200
8.	रेस्टोरेंट	2,000–2,500
9.	होटल / गेस्ट हाउस (01 से 10 कमरे)	2,000–2,500
10.	होटल / गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे)	2,500–2,800
11.	होटल / गेस्ट हाउस (20 से अधिक कमरे)	3,000–3,200
12.	धर्मशाला (1 से 25 कमरे)	1,200–1,600
13.	धर्मशाला (25 से अधिक कमरे)	1,800–2,200
14.	3-स्टार होटल	2,800–3,000
15.	5-स्टार होटल	3,500–4,000
16.	सरकारी स्कूल / कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1,000–1,200
17.	सरकारी स्कूल / कॉलेज (1,000 से अधिक छात्र)	1,200–1,500
18.	निजी स्कूल / कॉलेज (1,000 छात्र तक)	1,800–2,000
19.	निजी स्कूल / कॉलेज (1,000 छात्र तक)	2,500–3,000
20.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	1,800–2,000

1	2	3
		रुपये–
21.	2-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	2,800–3,000
22.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (बिना सर्विस सेंटर)	2,500–3,000
23.	4-व्हीलर वाहन शोरूम (सर्विस सेंटर के साथ)	3,500–4,000
24.	मल्टीप्लेक्स	2,000–2,500
25.	छात्रावास (01 से 10 कमरे)	1,800–2,200
26.	छात्रावास (11 से 20 कमरे)	2,200–2,500
27.	छात्रावास (21 से 50 कमरे)	2,500–2,800
28.	छात्रावास (50 से अधिक कमरे)	3,000–3,200
29.	विवाह हॉल/बैंक्वेट हॉल	2,500–3,500
30.	बार	2,500–3,000
31.	सरकारी अस्पताल (20 बेड तक)	1,800–2,500
32.	सरकारी अस्पताल (20 से अधिक बेड)	2,800–3,000
33.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बेड तक)	1,800–2,000
34.	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 से अधिक बेड)	2,200–2,500
35.	पैथलॉजिकल लैब	1,500–2,000
36.	निजी अस्पताल (20 बिस्तर तक)	2,500–2,800
37.	निजी अस्पताल (21-50 बिस्तर तक)	2,500–3,000
38.	निजी अस्पताल (50 बिस्तर तक)	3,500–4,000
39.	राइस मिल/अन्य मिल	2,000–2,500
40.	क्षेत्र में कोई भी उद्योग	3,000–4,000
41.	क्षेत्र से बाहर कोई भी उद्योग	2,000–2,500

स्रोत– सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड राज्य प्रोटोकॉल 2022 से एक संदर्भ लिया गया है।

नोट1– उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर-फीस) की इन सीमाओं में निकाय द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

2– उपरोक्त श्रेणियाँ प्रति 3000 लीटर फीकल स्लज एवं सेप्टेज सेप्टेज की निकासी पर आधारित हैं। रेंज की ऊपरी सीमा पर विचार करना चाहिए जब अन्य कचरे (पॉलीबैग की उच्च संख्या, निस्तारण किए गए कपड़े, सैनिटरी पैड, डायपर, कंडोम, प्लास्टिक की बोतलें, अन्य कचरे) को भी व्यापक तरीके से डाला गया हो।

परिशिष्ट-3

(खण्ड-7 (vii) देखें)

बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण–

कार्य-स्थल पर निम्नलिखित बचाव उपस्कर और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए–

1– शरीर के सुरक्षा वस्त्र मुख्य रूप से पॉलिएस्टर से बने होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव होते हैं और रासायन गिरने से शरीर की रक्षा करते हैं।

2– शरीर की रक्षा सज्जा/सुरक्षा बेल्ट।

3– सर्जिकल फेस मास्क/रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, धुंध और जीवाणुओं आदि से बचाता है।

4– सेफ्टी टॉर्च।

5– भारी रसायन प्रतिरोधी दस्ताने जो यांत्रिक बचाव और खतरनाक सामग्री के छलक कर गिरने से अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं और ब्यूटाइल के बने होते हैं।

6– संक्रामक पदार्थों को आंखों में जाने से रोकने के लिए रासायनिक छींटे झेलने की क्षमता वाले सेफ्टी गॉगल्स।

7– टॉर्च के साथ लगे सेफ्टी हेलमेट (कॉर्डेड) जो अंधेरे में काम करने के लिए मददगार होता है।

8– दुबारा इस्तेमाल होने वाला इयरप्लग, जो एक लचीले बैंड से अच्छी तरह जुड़ा होता है जिसे जरूरत न होने पर गर्दन के चारों ओर पहना जा सकता है। ये सिलिकॉन के बने होने चाहिए और वैक्यूम टैंकरों के आस-पास उपयोगी होते हैं जहां औसत ध्वनि स्तर 85dBa से अधिक होता है।

9– आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन पुनर्जीवन किट Q

10– गैस मॉनीटर

11– हेड लैंप

12– गाइड पाइप सेट

13– सेफ्टी ट्राइपॉड सेट

14– वेडर बूट

15– एयर कंप्रेसर और ब्लोअर

16– मॉड्यूलर एयरलाइंस सप्लाई ट्रॉली सिस्टम

17– रेनकोट

परिशिष्ट-4

(खण्ड 6 (iii) और 8 देखें)

नगर पालिका परिषद् बस्ती।

Registration form for Private Desludging Operator

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर/ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

फॉर्म 1– नगर पालिका परिषद्, बस्ती में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए लाइसेंस आवेदन-पत्र

2– आवेदक का नाम श्री/सुश्री : .....

3– पता : .....

.....

4– पंजीकृत कार्यालय का पता .....

5– टेलीफोन नम्बर : (कार्यालय) ..... (मो0) .....

ईमेल आईडी : .....

6.

12

संख्या	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहनों का प्रकार (ट्रैक्टर–माउंटेड या ट्रक माउंटेड)	प्रतिरूप (मॉडल) संख्या	वैक्यूम टैंकरों/ टैंकर की छमता (लीटर में)	बीमा किस तारीख तक वैध है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

7– लाइसेंस की प्रोसेसिंग फीस के भुगतान का विवरण–

नकद_____(रसीद संख्या)

8– संलग्न प्रलेखों की सूची (स्व-प्रमाणित प्रति) (हां/नहीं)

दस्तावेज के प्रकार	हां/नही	दस्तावेज के प्रकार	हां/नही	दस्तावेज के प्रकार	हां/नही
1	2	3	4	5	6
पहचान-प्रमाण		पता-प्रमाण		कर्मचारियों की सूची	
पंजीकरण प्रमाण-पत्र		फिटनेस सर्टिफिकेट		बीमा और पॉलिसी अनुसूची के प्रमाण-पत्र	
प्रदूषण प्रमाण-पत्र		ड्राइविंग लाइसेंस		पासपोर्ट साइज फोटो	

अनुलग्नकों की कुल संख्या–

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा कॉलम 1 से 8 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने संलग्न नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो लाइसेंस के लिए आवेदन किसी भी समय रद्द करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा।

आवदेक के हस्ताक्षर

दिनांक–.....

नियम और शर्तें–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जाएगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जायेगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में ..... दिनों पर ..... am से ..... pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिये तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-5

खंड 6 (v) और 8 देखें

लाइसेंस प्रारूप

नगर पालिका परिषद् बस्ती

फीकल स्लज एवं सेप्टेज निकालने वाले ऑपरेटर ठेकेदार का निकाय मोहर के साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं

फॉर्म 2– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण हेतु लाइसेंस प्रदान करना निकाय (निकाय का नाम) में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मल-कीचड़ और सेप्टेज के संग्रहण, ढुलाई और निस्तारण के लिए लाइसेंस

इसके द्वारा अनुमति दी जाती है–

1– आवेदक का नामः (श्री/सुश्री):.....

2– पत्राचार का पताः.....

3– निकाय (नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) का नाम) में फीकल स्लज/सेप्टेज प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस संख्याः.....

4– **मान्यता** .....से ..... तक

5– वाहन (वाहनों) का रजिस्ट्रेशन नंबरः (i) ..... (ii) ..... (iii) ..... (iv) ..... लाइसेंस, लाइसेंस धारक द्वारा पिछले पृष्ठ में बताई गई शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नियम और शर्तें

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज को केवल एक यूएलबी द्वारा जारी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर द्वारा ही संग्रहीत किया जायेगा और ढुलाई की जायेगी।

2– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह और ढुलाई के लिए शुल्क यूएलबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऑपरेटर घर/संपत्ति के मालिक से निर्धारित शुल्क से अधिक कोई राशि नहीं वसूलेगा।

3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की ढुलाई यूएलबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित वाहनों द्वारा ही किया जायेगा।

4– लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि संग्रह स्थल से निर्दिष्ट उपचार संयंत्र तक ढुलाई के दौरान फीकल स्लज एवं सेप्टेज का कोई रिसाव न हो।

5– फीकल स्लज एवं सेप्टेज ले जाने वाला वाहन संचलन के दौरान किसी भी आकस्मिक छलकाव के कारण पर्यावरण के लिए किसी भी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित होना चाहिये।

6– अनुज्ञप्तिधारी केवल निर्दिष्ट शोधन संयंत्र में ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज का निपटान करेगा।

7– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर लाइसेंस की एक प्रति प्रमुखता से प्रदर्शित की जायेगी।

8– वाहन/टैंकर कर को पीले रंग से पेंट किया जाएगा जिस पर लालरंग में सावधानी के साथ "septic tank waste" (अंग्रेजी में) और **"मलकुंड अपशिष्ट"** (हिंदी में) लिखा होगा।

9– निर्दिष्ट उपचार संयंत्र सप्ताह में ..... दिनों पर ..... am से ..... pm तक फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्राप्त करेगा। ऑपरेटरों को तदनुसार अपने डीस्लजिंग संचालन की योजना बनानी चाहिये।

10– प्रभावी सफाई सेवाएं प्रदान करने और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तैनात कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के लिए लाइसेंसधारी जिम्मेदार होगा।

11– उपरोक्त बिंदुओं में से किसी के उल्लंघन के मामले में, लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा, लाइसेंसधारक की सुरक्षा जब्त कर ली जायेगी और वह इन विनियमों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

परिशिष्ट-6

(खंड 13 (ii), 20 (ii) देखें)

फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड

फॉर्म 3– फीकल स्लज एवं सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड नगर पालिका परिषद्, बस्ती में मल कीचड़ और सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड बनाये रखने के लिए

दिनांक ..... समय .....

1– ऑनसाइट सिस्टम के मालिक का विवरण–

नाम.....

पता.....

(क)– वार्ड सं0.....

(ख)– मोबाईल नम्बर.....

2– रोकथाम–

1. निर्माण का वर्ष.....
2. पिछला कीचड निकालना (MM/YYYY).....
3. आऊटलेट मौजूद (हां/नही).....
4. यदि हां तो किससे जुड़ा है.....

5. रोकथाम के प्रकार (चेकबॉक्स में उपयुक्त विकल्प चुने)

रोकथाम के प्रकार	सही करे	रोकथाम के प्रकार	सही करे
1	2	3	4
सेप्टिक टैंक ट्विन		ट्विन पिट (पंक्तिबद्ध)	
संग्रह टैंक		ट्विन पिट (अनलाइन्ड)	
सोख्ता गडढे के साथ सेप्टिक टैंक		पूरी तरह से अटे टैंक	
सिंगल पिट (लाइनेड)		सिंगल पिट (आनलाइन)	

6– रोकथाम का आकार और आकारःनियंत्रण का प्रकार नियंत्रण का प्रकार टिक करे

7– संपत्ति के भीतर रोकथाम का स्थान (चेकबॉक्स में नीचे उपयुक्त विकल्प चुनें)

घर में स्थान	सही करे	घर में स्थान	सही करे
1	2	3	4
घर के पिछले हिस्से में		एक कमरे के फर्श के नीचे	
घर के सामने की तरफ		अन्य	

3– कीचड साफ करना–

1– फीकल स्लज एवं सेप्टेज की मात्रा (लीटर).....

2– कीचड़ निकालने में लगने वाला समय.....

3– ट्रिप की लम्बाई (किमी).....

4– आने-जाने में समय .....

4– कीचड़ साफ करने वाले सेवा प्रदाता का विवरण–

आपरेटर का नाम.....

डयूटी पर खाली स्टाफ FSSTP ऑपरेटर.....

डयूटी पर टेक सफाई स्टाफ के हस्ताक्षर

उपचार सुविधा ऑपरेटर का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-7

(खंड 21 (i) और 27 (ii) देखें)

होस्ट यूएलबी तथा बिना उपचार संयंत्र वाले निकाय के बीच समझौता ज्ञापन प्रारूप–

फॉर्म 4– "होस्ट यूएलबी" पर उपलब्ध "उपचार संयंत्र" में फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति के लिए समझौता ज्ञापन।

होस्ट निकाय के उपचार संयंत्र पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति हेतु निकाय(नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत) और होस्ट निकाय (होस्ट, निकाय का नाम) के बीच समझौता ज्ञापन के लिए फॉर्म फीकल स्लज एवं सेप्टेज एवं सेप्टेज प्रबंधन के तहत, एक्सवाईजेड निकाय(संपर्क करने वाले निकाय का नाम) की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर घरों, सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के नियंत्रण से आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज और सेप्टेज (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के सुरक्षित निस्तारण हेतु जरूरी शर्तें पूरा करने के लिए, "होस्ट यूएलबी" (होस्ट, निकाय का नाम) के प्रशासन के तहत "उपचार संयंत्र" पर, समझौता।

प्रथम पक्ष "होस्ट यूएलबी" (होस्ट, निकाय का नाम)

द्वितीय पक्ष "एक्सवायजेड यूएलबी" (संपर्क करने वाले निकाय का नाम)

उपबंध–

1– यह कि "प्रथम पक्ष" दिनांक दिन/महीना/वर्ष (प्रारंभ तारीख) से दिन/महीना/वर्ष (प्रारम्भ तारीख) तक "द्वितीय पक्ष" की प्रशासनिक सीमाओं से उनके "उपचार संयंत्र" पर आने वाले फीकल स्लज एवं सेप्टेज के सुरक्षित निस्तारण की अनुमति देगा।/वर्ष (अंतिम तिथि)

2– "प्रथम पक्ष" अपने प्रशासनिक क्षेत्र से आने वाले भार से समझौता करने से बचने के लिए अपने "उपचार संयंत्र" पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज की दैनिक अनुमत मात्रा की जानकारी देगा।

3– यह कि "द्वितीय पक्ष" समझ के अनुसार "प्रथम पक्ष" को फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण के प्रति खेप टिपिंग शुल्क के रूप में रु0 ××× देने के लिए सहमत है।

4– यह कि "प्रथम पक्ष" उपचार सुविधा के संचालन का समय, अनुमत पहुंच मार्ग, फीकल स्लज एवं सेप्टेज की अनुमत मात्रा, उपचार सुविधा का रखरखाव बंद आदि आवश्यक विवरण समय-समय पर साझा करेगा।

5– कि उपरोक्त कार्यों को करते समय बीच में आने वाली किसी भी कठिनाई को दोनों पक्ष मिलकर सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं।

6– कि "द्वितीय पक्ष" केवल लाइसेंसधारी फीकल स्लज निकासी ऑपरेटर को प्रथम पक्ष की उपचार सुविधा पर फीकल स्लज एवं सेप्टेज के निस्तारण की अनुमति देगा।

7– प्रथम पक्ष उपचार सुविधा में उनके लाइसेंस पर "द्वितीय पक्ष" की मुहर के साथ लाइसेंसधारी ऑपरेटर का प्रवेश सुनिश्चित करेगी।

प्रथम	द्वितीय पक्ष
अधिशाशी अधिकारी का हस्ताक्षर	अधिशाशी अधिकारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट–8

जुर्माना और फाइन

क्रम सं0	विवरण	खंड संख्या	सांकेतिक फाईन सीमा	जुर्माना (रु0 या किसी अन्य पीनल एक्शन में)
1	2	3	4	5
			रुपये–	
1.1	नाला/सड़क/खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा/असुरक्षित प्रवाह	3	50–100	
1.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	3	50–100	
1.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	3	10–15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
2.1	ओएसएस का अवैज्ञानिक डिजायन और निर्माण	5	100–150	
2.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	5	100–150	
2.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	5	10–15 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
3.1	बिना निकाय पंजीकरण के वैक्यूम टैंकर परिचालित करना	6	50–100	
3.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6	50–100	
3.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6	150–200 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
4.1	आकस्मिक बिखराव में भाग लेने के लिए गैर–अनुपालन	16,17	1,000–1,500	
4.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	16, 17	1,000–1,500	
4.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	16, 17	300 प्रति दिन	वाहन की जब्ती
5.1	एसटीपी से अनुपचारित FSS प्रवाहित करना	27, 28, 33	,5000–10,000	
5.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	27, 28, 33	5,000–10,000	
5.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	27, 28, 33	1,000–1,500 प्रति दिन	संपत्ति की जब्ती
6.1	निकाय द्वारा अधिसूचित स्थल के अलावा अन्य स्थल पर अनुपचारित फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रवाहित करना	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.2	लगातार उल्लंघन का दूसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	5,000–10,000	
6.3	लगातार उल्लंघन का तीसरा मामला	6, 7, 14, 27, 28, 29	1,500–2,000 प्रति दिन	वाहन की जब्ती

नोट– जुर्माने और जुर्माने की उपरोक्त तालिका पर नगर स्वच्छता समिति के सदस्यों के बीच पहले चर्चा की जानी चाहिये। शहर में यूएलबी जिस स्तर की सख्ती का पालन करना चाहता है, उसके आधार पर इसे समय–समय पर संशोधित भी किया जा सकता है।

परिशिष्ट-9

अपील हेतु ज्ञापन

(खंड 37 देखें)

फॉर्म 5– अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन, अपेलेट बॉडी के पास अपील हेतु ज्ञापन का फॉर्म, "अपीली प्राधिकार के पास

.....(पदनाम)

1– आवेदक का पूरा नाम.....

2– आवेदक का पूरा पता.....

3– नगर पालिका अधिकारी का विवरण, जिसके आदेश के विरूद्व अपील की गई–

नाम.....पद.....

4– उस आदेश के प्राप्त करने की तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गई–

5– अपील दायर करने की तारीख.....

6– सूचना विवरण

(क)– संक्षेप में अपील की विषय-वस्तु (जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, उसकी प्रति संलग्न करे) .....

(ख)– अपील का आधार (इनमे से किसी का विवरण अलग शीट में संलग्न किया जाना है) .....

.....

सत्यापन

मैं, ...(अपीलकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी..... एतदद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि अपील में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैंने किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं है।

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....तिथि.....

अनुलंग्नक के रूप में जमा किए गए प्रलेख–

1.....

2.....

यहाँ फाडे.....

पावती

संख्या ..... तिथि .....

अनुलंग्क फॉर्म के साथ प्राप्त अपील ज्ञापन .....

स्थान ..... तिथि .....

(अधिकृत अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)
आदेश से (नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत का नाम)

(अधिशासी अधिकारी की मुहर एवं हस्ताक्षर)
(नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत का नाम)

परिशिष्ट–10

(खंड 40 देखें)

संदर्भित दस्तावेज–

(इन आदर्श उपविधियों की रचना निम्नलिखित अधिनियमों व अन्य राज्य की उपविधियों का अध्ययन करके किया गया है)

निकाय द्वारा मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित प्रलेखों के नवीनतम संस्करण का उपयोग किया जा सकता है–

1– उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916

2– उत्तर प्रदेश सेप्टेज प्रबंधन नीति, 2019 नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

3– बिजनौर फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन उपविधि, 2022, कार्यालय राजपत्र प्रयागराज, उत्तर प्रदेश सरकार।

4– सलाहकार नोटः शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन, 2013, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

5– उत्तर प्रदेश में फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश, 2018, शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

6– एकीकृत फीकल स्लज एवं सेप्टेज, सेप्टेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति सह दिशानिर्देश, 2019, चुनार नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश

7– आईएसः 2470-1985, सेप्टिक टैंक की स्थापना और सेप्टिक टैंक के प्रवाह के निस्तारण के लिए भारतीय मानक संहिता, भारतीय मानक ब्यूरो,

(क)– (भाग-I) डिजाइन शर्तें और निर्माण

(ख)– (भाग-II) द्वितीयक उपचार और सेप्टिक टैंक के तरल पदार्थ का निस्तारण।

8– सीवरेज और मलजल उपचार प्रणाली पर मैनुअल, 2013, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पर्यावरण संगठन, भारत सरकार।

9– बिना नेटवर्क तकनीकी पर मेन्यू, 2019, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली।

10– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

11– राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

12– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन (फीकल स्लज एवं सेप्टेज) के उपविधि, 2020, सेप्टेज प्रबंधन के लिए उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल।

13– फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर नीति, 2018, तेलंगाना सरकार।

14– तमिलनाडु सरकार का राजपत्र, 2022, फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन पर उपविधि।

15– सेप्टेज प्रबंधन प्रैक्टिशनर गाइड, 2017, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र।

16– सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 2018, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

17– फीकल स्लज एवं सेप्टेज/सेप्टेज, 2019, के लिए उथली और गहरी खाइयों पर तकनीकी नोट जल, स्वच्छता एवं स्वच्छता संस्थान, नई दिल्ली

18– प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार

अंगद,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, बस्ती।

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्
सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग
सूचना

20 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 1448(A)/स0प्र0–3/2025–उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965 की धारा–95 की उपधारा–(1) (खण्ड–ड व ढ़ उत्तर प्रदेश अधिनियम–1, 1966 में) के अधीन, अधिकारो का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद द्वारा अपनी अधिकार सीमा में उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियम यथासंशोधित–2016 के परिशिष्ट–7 को अवक्रमित करते हुए परिषद की योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं हेतु भूखण्डो के पंजीकरण एवं आवंटन विनियम की निम्नवत नवीन व्यवस्था बनाई गई है।

यह विनियम उत्तर प्रदेश में गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगा।

क्रम सं0	योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं हेतु भूखण्डों के पंजीकरण एवं आवंटन विनियम की व्यवस्था
1-भू-खण्ड निस्तारण की प्रक्रिया	1.1 शैक्षणिक संस्थाओं के भू-खण्डों का निस्तारण सामान्य ई- नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। 1.2 इच्छुक संस्था/संस्थायें विद्यालय भू-खण्ड के लिए खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर भू-खण्ड का निरीक्षण कर सकते हैं। 1.3 विद्यालय भू-खण्डों के निस्तारण हेतु 10 दिन पूर्व न्यूनतम दो लोकप्रिय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा। विद्यालय भू-खण्डों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ सम्बन्धित जोन, वृत, खण्ड कार्यालय एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी अंकित/ प्रदर्शित किया जायेगा।
2-अर्हतायें	2.1 सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882/ कम्पनी एक्ट 2013 के सेक्शन-8 के अन्तर्गत पंजीकृत वैध फर्म/ट्रस्ट/कम्पनिया/सोसाइटी नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत हैं। 2.2 आवेदन करने वाले/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को संस्था की ओर से अधिकृत होना आवश्यक है। 2.3 संस्था का गठन साम्प्रदायिक एवं जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए।
3-आवेदन प्रक्रिया	3.1 नीलामी की सूचना निर्गत होने पर/विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त इच्छुक आवेदक संस्थाओं द्वारा सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत टोकन धनराशि के रूप में जमा करते हुए नीलामी में प्रतिभाग किया जा सकता है।
4-आरक्षित मूल्य का निर्धारण	4.1 भू-खण्ड की आरक्षित दर का निर्धारण, जिन योजनाओं में योजना प्रारम्भ होने (प्रथम पंजीकरण खोलने की तिथि) से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, में नीलामी की तिथि पर प्रचलित परिषद की सेक्टर/ योजना की आवासीय दर के सम्तुल्य व 10% लीजरेंट जोड़ते हुए किया जायेगा। 4.2 जिन योजनाओं में 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, उनमें परिषद सेक्टर/योजना के आवासीय दर के 50 प्रतिशत के समतुल्य व 10% लीज रेंट जोड़ते हुए आरक्षित दर का निर्धारण किया जायेगा। 4.3 भू-खण्ड के कार्नर होने की स्थिति में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क एवं 10 प्रतिशत लीजरेन्ट जोड़कर आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के परिवर्तन पर तदानुसार दरें/मूल्य परिवर्तनीय हैं।

5-उच्चतम बोली की स्वीकृति	5.1 आवास आयुक्त रु० 3.00 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य के भू-खण्डों हेतु। 5.2 अपर आवास आयुक्त एवं सचिव रु० 3.00 करोड़ तक आरक्षित मूल्य के भू-खण्ड हेतु । 5.3 यदि किसी भू-खण्ड के विरूद्ध नीलामी में एकल बोली प्राप्त होती है तो उसे 20 दिन तक रिटेन करते हुए आगामी ई-नीलामी सम्पन्न कराई जाएगी। पूर्व बोलीदाता को पुनः टोकन धनराशि जमा करने की आवयश्कता नहीं होगी। यदि पुनर्निलामी में भी कोई अन्य बोली प्राप्त नहीं होती है तो उक्त प्राप्त एकल बोली को भी सक्षम स्तर से संगत प्राविधान के अनुसार गुण दोष के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जाएगा ।
6-प्रदेशन पत्र	6.1. प्रश्नगत विद्यालय भू-खण्ड के विरुद्ध प्राप्त उच्चतम बोली की सक्षम स्तर (उपरोक्तानुसार) से स्वीकृत के उपरान्त सम्पति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा संस्था के पक्ष में प्रदर्शन पत्र निर्गत किया जायेगा।
7-आवंटन की शर्तें	7.1 विद्यालय भू-खण्ड का आवंटन लीज पर 90 वर्ष के लिए किया जायेगा। 7.2 भू-खण्ड" जहाँ है जैसे है"की स्थिति के अनुसार आफर किये जाते है। किसी भू-खण्ड के किसी भी मा० न्यायालय के आदेशों से कब्जा देने मे कठिनाई की स्थिति में अन्यत्र वैकल्पिक भू-खण्ड का आवंटन का कब्जा दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। 7.3 विभिन्न स्तर के विद्यालय भू-खण्ड का उपयोग सम्बन्धित विभाग यथा-बेसिक/माध्यमिक /शिक्षा/ सी.बी.एस.ई/आई.एस.सी. बोर्ड आदि के सम्बन्ध में जारी अध्यावधिक शासनादेशों के द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार होगा। 7.4 प्रश्नगत प्रकाशन के उपरान्त अपरिहार्य कारणों से विद्यालय भू-खण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि हो सकती है, जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी शैक्षिक भू-खण्ड का आफर प्रत्याहरित किया जा सकता है। 7.5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये विद्यालय भू-खण्डों के मूल्य क्षेत्रफल अथवा शर्तों में परिवर्तन होता है तो तदनुसार आवेदक संस्था को मान्य होगा तथा इस विषय पर संस्था का किसी प्रकार का दावा या अधिकार मान्य नहीं होगा। 7.6 संस्था के पास प्रस्तावित विद्यालय/शिक्षण संस्था को चालाने हेतु पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध होने चाहिये। 7.7 उ0प्र0 शासन/मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिकर बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में यदि कोई आदेश पारित किये जाते हैं तो उसे संस्था 'विद्यालय भू-खण्ड" के आवंटी को भी परिवर्तित मूल्य देय होगा। 7.8 संस्था को भूमि अन्तरण करने, किराये पर देने अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा। इस शर्त के उल्लंघन से परिषद द्वारा लीज डीड को निरस्त किया जा सकेगा। 7.9 शिक्षण संस्था के संचालन समिति में आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य होगे तथा उन्हें संचालन समिति की सभी बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जायेगा। 7.10 आवेदक को अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान करने वाली संस्थाओं से मान्यता प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। यदि मान्यता प्राप्त नही की गई तो भू-खण्ड आवंटन के तीन वर्ष के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करते हुये परिषद के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

8-भुगतान प्रक्रिया	8.1 "विद्यालय भूखण्ड" हेतु इच्छुक संस्था द्वारा दी गयी उच्चतम बोली/आफर की स्वीकृति उपरान्त संबंधितसम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा प्रदेशन-पत्र निर्गत किये जायेगें जिसमें भूमि के अनुसार मूल्य, लीज मूल्य धनराशि आदि व भुगतान विषयक सूचनायें विस्तार से दी जायेंगी। 8.2 "विद्यालय भू-खण्ड" हेतु टोकन धनराशि 10% जमा करने के उपरान्त 15 प्रतिशत धनराशि जमा करने हेतु 06 माह का समय दिया जायेगा। इस प्रकार कुल मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि 06 माह के भीतर करने एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर लीज डीड़ का निष्पादन किया जायेगा। लीज डीड का निष्पादन व्यय संस्था को वहन करना होगा। पंजीकृत लीज डीड कराने हेतु निर्धारित 180 दिवस की समय-सीमा के उपरान्त आवेदक संस्था को रूपये 500/- प्रतिदिन की दर से अधिकतम 30 दिवस तक विलंब शुल्क सहित अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा। 30 दिवस तक विलंब शुल्क सहित भी लीज डीड निष्पादित न कराने पर उपरोक्तानुसार पंजीकृत नोटिस देते हुए निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकेगी। 8.3 लीज डीड निष्पादन एवं भू-खण्ड का कब्जा प्रदान करने के पश्चात शेष 75% धनराशि आवासीय सम्पत्तियों हेतु प्रचलित ब्याज दर सहित 4 वार्षिक किश्तों में देय होगी। 8.4 पंजीकृत लीज डीड के निष्पादन के उपरान्त भौतिक कब्जा प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। 8.5 समयान्तर्गत भुगतान न करने पर 30 दिन की पंजीकृत नोटिस देते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करके भू-खण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। 8.6 संस्था द्वारा लीज डीड के समय सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के सक्षम स्तर से निर्गत मान्यता प्रमाण-पत्र एवं आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
9-आरक्षण एवं फीस में छूट	9.1 विद्यालय संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रवेश के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत की छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा। 9.2 बच्चों को प्रवेश में आरक्षण अथवा शिक्षण शुल्क में छूट की देयता आदि के प्राविधान प्रदेश सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की सुसंगत नीतियों / शासनादेशों (समय समय पर यथा संशोधित) से शासित होंगे। 9.3 संस्था परिषद के अधिकारियों / कर्मचारियों के बच्चों का प्रवेश प्राथमिकता पर करेगी तथा फीस में 50 प्रतिशत की छूट भी उपलब्ध करायेगी।
10-भू-खण्ड का कब्जा	10.1 भू-खण्ड का कब्जा 'जहाँ है-जैसे है "के आधार पर दिया जायेगा। 10.2 भूमि की माप घट/बढ़ जाने पर अथवा अपरिहार्य स्थलीय कारणों से मौके पर भूमि के कब्जे विषयक विवाद पर परिषद द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष अथवा वैकल्पिक भूखण्ड नहीं दिया जायेगा। इस दशा में आवंटी को परिषद के नियमानुसार जमा धनराशि वापसी की कार्यवाही की जायेगी। 10.3 संस्था के विद्यालय भू-खण्ड का कब्जा संबन्धित सम्पति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा पंजीकृत लीज निष्पादित होने के पश्चात् ही सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड कार्यालय द्वारा 15 दिन के अन्दर दिया जायेगा। 10.4 आवेदक संस्था द्वारा स्कूल भू-खण्ड का समय से भौतिक कब्जा न लेने से रू0 500 प्रतिदिन के आधार पर रख-रखाव शुल्क देय होगा। 10.5 सूचित की गयी तिथि से दो माह तक कब्जा प्राप्त न करने की स्थिति में आवास आयुक्त को अधिकार होगा कि शैक्षिक संस्था को आवंटित भू-खण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जाये। ऐसी दशा में टोकन धनराशि (भू-खण्ड मूल्य की 10 प्रतिशत) जब्त कर अवशेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

11-निरस्ती-करण/पुनर्जीवन	11.1 आवंटन पत्र निर्गत किए जाने के उपरान्त निर्धारित किश्तों का समयान्तर्गत भुगतान न करने की स्थिति में न्यूनतम 03 नोटिस निर्गत करते हुए नियमानुसार निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। नोटिस की पुष्टि सम्पति पंजिका एवं पत्रावली में सुरक्षित रखी जाएगी। 11.2 भू-खण्ड का आवंटन निरस्त किये जाने के उपरान्त 03 माह की समय सीमा के भीतर यदि आवंटी द्वारा टोकन धनराशि का 50 प्रतिशत जमा करते हुए शेष सम्पूर्ण देय धनराशि को एक माह के अन्तर्गत जमा करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो भू-खण्ड का पुनर्जीवन आवास आयुक्त के स्तर से किया जा सकेगा। 03 माह की समय सीमा के पश्चात् पुनर्जीवन नहीं किया जायेगा तथा नियमानुसार कटौती के पश्चात् अवशेष धनराशि बिना किसी ब्याज के वापसी की कार्यवाही सम्पति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा की जायेगी। 11.3 पुनर्जीवन की स्थिति में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय ब्याज सहित का भुगतान संस्था को एक माह के अन्दर कराना होगा। समयान्तर्गत भुगतान न करने पर आवंटन निरस्त करते हुए पुनर्जीवन शुल्क के रूप में जमा धनराशि को भी जब्त करते हुए भू-खण्ड का निस्तारण नीलामी से किया जायेगा। इस हेतु आवंटी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12-पंजी० धनराशि की वापसी	12.1 यदि आवेदक संस्था के पक्ष में 'विद्यालय भू-खण्ड' के आवंटन का निर्णय नहीं होता है तो सम्बन्धित संस्था की जमा पंजीकरण धनराशि की वापसी सम्बन्धित सम्पति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा अधिकतम एक माह के अन्दर बिना ब्याज के संस्था द्वारा दिये गये खाता संख्या में आनलाइन माध्यम से जायेगी। 12.2 यदि कोई आवेदक 'विद्यालय भू-खण्ड' के नीलामी स्वीकृति के बाद उक्त भू-खण्ड को निरस्त कराकर धनराशि की वापसी चाहता है, तो आवंटन के एक माह के अन्दर आवेदन करने पर टोकन धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायगी। 12.3 यदि कोई आवेदक संस्था पंजीकरण धनराशि नीलामी की स्वीकृति से पूर्व वापस लेना चाहते हैं तो उन्हें टोकन धनराशि की 20 प्रतिशत धनराशि की कटौती कर आवेदन करने के 15 दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी।
13-अतिरिक्त भूमि का आवंटन	13.1 स्थल पर अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता होने पर, यदि उक्त भूमि का परिषद हित में कोई स्वतंत्र प्रयोग सम्भव नहीं है, तो उसके आवंटन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वृत्त) एवं मुख्य वास्तुविद नियोजक के अभिमत के उपरान्त आवास आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्त अतिरिक्त भूमि उसी श्रेणी /उद्देश्य हेतु ही आवंटित की जायेगी। अतिरिक्त भूमि का आवंटन शैक्षिणक भूखण्डों हेतु निर्धारित वर्तमान सेक्टर /योजना रेट (दर) अथवा भूमि की नीलामी में प्राप्त दर पर अध्यावधिक ब्याज अधिरोपित करने पर आगणित दर, जो भी अधिक हो,पर किया जायेगा। 13.2 नीलामी के उपरांत स्थल पर प्रश्नगत संपति के क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होती है तो स्वीकृत दर से भूमि का मूल्यकम /अधिक देय होगा।
14-कर आदि की देयता	आवंटित विद्यालय भू-खण्ड के सम्बन्ध में नगर निगम /नगर पालिका परिषद अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी संस्था को स्वयं वहन करने होंगे।

15-निर्माण की शर्त	15.1 संस्था को विद्यालय भू-खण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त 03 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। 15.2 संस्था को शिक्षण संस्था "भवन" का मानचित्र परिषद के सक्षम स्तर से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा। निर्माण के सम्बन्ध में भवन उप विधि 2025 का प्रावधान मान्य होंगे। 15.3 नियत अवधि "03-वर्ष" मे निर्माण पूर्ण न करने अर्थात निर्माण की शर्त का उल्लंघन होने की दशा में संस्था की 03 पंजीकृत नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त नियमानुसार संस्था का आवंटन निरस्त किया जाएगा। 15.4 निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त समय भू-खण्ड के स्कूल प्रयोजन के प्रचलित मूल्य (सर्किल रेट के आधार पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष सरचार्ज लेकर भौतिक कब्जे की तिथि से अधिकतम 05 वर्षों तक दिया जायेगा। 15.5 जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन हेतु भू-खण्ड का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लाया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में लीज डीड निरस्त करते हुए परिषद द्वारा पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। 15.6 संस्था पर परिषद तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम तथा गाइड लाइन्स एवं शर्ते प्रभावी होगी।
16-विवाद की दशा में	किसी विवाद की दशा में आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का निर्णय अन्तिम होगा।
17-तथ्यों को छिपाना	आवेदक द्वारा दी गयी सूचनायें अथवा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की वैधता प्रमाणित नहीं होती है, या विवरण असत्य पाया जाता है, तो आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को "विद्यालय भू-खण्ड" का प्रदेश न/आवंटन निरस्त करने तथा जमा की गयी धनराशि को पूर्ण रूप से जब्त करने/आंशिक जब्त करने /बिना ब्याज वापस करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18-शर्तों में संशोधन/ परिर्वतन	18.1 उपरोक्त शर्तों में संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार आवास आयुक्त, उ0प्र0 एवं विकास परिषद में निहित होगा। 18.2 उपरोक्त के अतिरिक्त जिन प्राविधानो का समावेश नहीं हो सका है, के विषय में परिषद की संस्थागत भू-खण्डों एवं लीज सम्बन्धी प्रचलित नियम/ शर्तें प्रभावी होगी। 18.3 उपरोक्त समस्त के साथ-साथ आई0टी0ई0 के प्राविधानो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKASH PARISHAD

[Adminitrative-Section]

NOTICE

November 11, 2025

सं0 2099/प्रशा०-एक-900/2016—उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद के अधिनियम, 1965 की धारा-95 की उपधारा-(1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेग्युलेशन्स, 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-8 आयु के सम्बन्ध में उल्लिखित नियमों में पहली जनवरी, के स्थान पर पहली जुलाई, करते हुए उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेग्युलेशन्स 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-8 में निम्नलिखित संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक, मण्डल की 273वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 की मद संख्या-273/03 पर प्रस्तुत किया गया। जिसे मा0 निदेशक, मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया हैः—

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
A candidate for recruitment to the Service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 40 years on the 1st day of January of the year in which the vacancies are notified under Sub-regulation (2) of regulation 13: Provided that the maximum age limit shall, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled tribes, be greater by 5 years. In the case of retrenched employees of the Board or the State Government there will be no maximum age limit: Provided further that if a candidate would have been entitled in respect of his age and other qualification under these Regulations to appear for the selection in any year in which no such selection was held, he shall be deemed to be entitled in respect of his age to appear at the next following selection: Provided also that upper age limit may be relaxed by the appointing authority in the case of candidates possessing special technical knowledge and professional experience.	A candidate for recruitment to the Service must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 40 years on the 1st day of July of the year in which the vacancies are notified under Sub-regulation (2) of regulation 13: In the case of candidates belonging to schedule castes, schedule tribes and such categories as may be notified from time to time, the upper age limit shall be such number of years as may be specified by the state government.

2. अतः मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद के सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेग्युलेशनस, 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-8 आयु के सम्बन्ध में उल्लिखित नियमों में पहली जनवरी के स्थान पर पहली जुलाई करते हुए उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेग्युलेशनस, 1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-8 में संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्

प्रशासन-अनुभाग

सूचना

11 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 2100/प्रशा0-एक-435/2015—उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद के अधिनियम, 1965 की धारा-95 की उपधारा-(1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद के

सहायक विधि अधिकारी की प्रवृत्त सेवा विनियमावली, 2015 के भाग-3 भर्ती के बिन्दु संख्या-ख तथा भाग-4 अर्हता, के बिन्दु-9 आयु एवं भाग-5 भर्ती की प्रक्रिया में उल्लिखित प्राविधानों में निम्नलिखित संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल की 273वीं बैठक दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 की मद संख्या-273/05 पर प्रस्तुत किया गया। जिसे मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया है :–

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
भाग–3-भर्ती **(5) भर्ती का स्रोत**–सेवा में सहायक विधि अधिकारी के पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– **क.** सीधी भर्ती द्वारा एवं **ख.** प्राविधान यह है कि 50% पद वाह्य अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पद उन विधि स्नातक परिषद कर्मचारियों से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने परिषद में न्यूनतम पाँच वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। **नोट**–नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनियुक्ति से भी उक्त पदों को भर सकता है।	**भाग–3-भर्ती** **(5) भर्ती का स्रोत**–सहायक विधि अधिकारी के शत प्रतिशत पदों पर भर्ती अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी।
भाग–4 अर्हताएं **(9) आयु**–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की भर्ती, जिस वर्ष में की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, चूँकि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।	**भाग–4 अर्हताएं** **(9) आयु**–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की भर्ती, जिस वर्ष में की जानी हो, उस वर्ष की पहली जुलाई कों, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया	**भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया**
(13)–1. उक्त पदों पर सीधी भर्ती तीन सदस्यीय एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। चयन समिति का गठन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। **2.** चयन समिति रिक्त पदों को प्रचलित दैनिक–पत्रों में विज्ञापित करेगी तथा प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की जाँचोपरान्त जिन अभ्यर्थियों के प्रार्थना–पत्र ठीक पाये जाते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा के लिए आमन्त्रित करेगी। **3.** लिखित परीक्षा में दो प्रश्न–पत्र होंगे, जिसमें 100 अंकों का विधि का एक प्रश्न–पत्र तथा 50 अंकों का सामान्य अंग्रेजी का दूसरा प्रश्न–पत्र होगा। **4.** लिखित परीक्षा में रिक्तियों के तीन गुनी संख्या में सर्वोच्च अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। **5.** साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। **6.** लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के अंकों का योग करने के उपरान्त श्रेष्ठता सूची बनायी जायेगी तथा रिक्त पदों की संख्या के बराबर योग्यता क्रम से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भेजा जायेगा । **7.** बराबर अंक पाने की दशा में अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।	**(13)** सहायक विधि अधिकारी के पद पर भर्ती अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी
भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता	**भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता**
(14)–नियुक्ति–**(1)** मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को ऐसे क्रम में नियुक्त करेगा, जो चयन समिति द्वारा संयुक्त सूची में लिखित है। **(2)** नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी रिक्तियों पर भी उक्त सूची से नियुक्त कर सकता है।	**(14)–नियुक्ति**–मौलिक रिक्तियां होने पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जायेगी।

2–अतः मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सहायक विधि अधिकारी की सेवा विनियमावली–2015 के भाग–3 भर्ती के बिन्दु संख्या–ख तथा भाग–4 अर्हता, के बिन्दु–9 आयु एवं भाग–5 भर्ती की प्रक्रिया में संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत्त प्रभावी रहेंगे

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद्

प्रशासन अनुभाग

सूचना

18 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 2156/प्रशा0—एक—268/2014 (भाग—3)—उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद के अधिनियम-1965 की धारा-95 की उपधारा-(1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश, विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 में सहायक अभियन्ता पद हेतु उल्लिखित शैक्षिणिक योग्यता के अनुरूप उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन 1973 (यथा संशोधित) के भाग-1 के प्रस्तर-20 भर्ती का वर्ष, भाग-4 के विनियम-9 आयु एवं विनियम-10 शैक्षिणक योग्यता में निम्नवत संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में मा0 निदेशक मण्डल की 273वीं बैठक दिनांक 09-10-2025 की मद संख्या-273/04 पर प्रस्तुत किया गया। जिसे मा0 निदेशक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त समकक्षता के सम्बन्ध में इस निर्देश के साथ अनुमोदित कि समकक्ष अर्हता के सम्बन्ध में इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन की जो व्यवस्था लोक निर्माण विभाग में प्रचलित है, उसी को लागू किया जायेः-

क्रमांक	पद	वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1.	सहायक अभियन्ता	**PART-I General** 20- Year of recruitment means the period from the 1st of January to 31st of December of a year.	**PART-I General** 20- Year of recruitment means the period from the 1st of July to 30th of june of a year.
2.	सहायक अभियन्ता	**PART-IV Qualification** 9. Age-(1) The age of candidates for direct recruitment to the service on the 1st day of january of the year in which the applications for selection are invited shall not be less than 21 years and not more than 30 years. **provided that** (i) the maximum age limit shall, In the case of employees of the Board and candidates belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes, be greater by five years and in the case of the retrenched employees of the board or the State Government, there will be no maximum age limit. (ii) the appointing authority may relax the upper age limit in favour of any candidate or class of candidates possessing special technical knowledge and professional experience . (2) The age of candidates for recruitment in accordance with the provisions of clause (ii) of sub regulation (1) of regulation 5 shall not be more than 45 years on January 1st of the year in which the vacancy is announced or, if he is already officiating in the Service he was less than 45 years of age on the date from which he has been continuously so officiating.	**PART-IV Qualification** 9. Age-(1) The age of candidates for direct recruitment to the service on the 1st day of July of the year in which the applications for selection are invited shall not be less than 21 years and not more than 40 years for recruitment, but in the case of candidates belonging to schedule castes, schedule tribes and such categories as may be notified from time to time, the upper age limit shall be such number of years as may be specified by the state government.

क्रमांक	पद	वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
3.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	**10. Academic Qualification-** A candidate for direct recruitment to the service must, besides having a thorough knowledge of hindi written in Devanagri Script, hold the following qualification: A Degree in Civil Engineering from a university or Institution established by law in Uttar Pradesh or from any other Institution recognised by the State/Central Goverment or a Degree recognised as equivalent thereto by State/Central Goverment	**10. Academic Qualification-** A candidate for direct recruitment to the service must, besides having a thorough knowledge of hindi written in Devanagri Script, hold the following qualification: A Degree in Civil Engineering from a university or Institution established by law in Uttar Pradesh or from any other Institution recognised by the State/Central Goverment. ***Note- Any qualification recognized by the Government as equivalent thereto means the certificate of qualified Associate Member of Civil Engineering i.e. AMIE of the Institute of Engineers India.***
4.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	**10. Academic Qualification-** A candidate for direct recruitment to the service must, besides having a thorough knowledge of hindi written in Devanagri Script, hold the following qualification: A Degree in Electrical Engineering from a university or Institution established by law in Uttar Pradesh or from any other Institution recognised by the State/Central Goverment or a Degree recognised as equivalent thereto by State/Central Government.	**10. Academic Qualification-** A candidate for direct recruitment to the service must, besides having a thorough knowledge of hindi written in Devanagri Script, hold the following qualification: A Degree in Electrical Engineering from a university or Institution established by law in Uttar Pradesh or from any other Institution recognised by the State/Central Goverment or a Degree recognised as equivalent thereto by State/Central Goverment. ***Note- Any qualification recognized by the Government as equivalent thereto means the certificate of qualified Associate Member of Civil Engineering i.e. AMIE of the Institute of Engineers India.***

2-अतः मा0 निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के क्रम में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 में सहायक अभियन्ता पद हेतु उल्लिखित शैक्षिणिक योग्यता के अनुरूप उत्तर प्रदेश, आवास एवं विकास परिषद असिस्टेन्ट इंजीनियर्स सर्विस रेगुलेशन 1973(यथासंशोधित) के भाग-1 के प्रस्तर-20 भर्ती का वर्ष, भाग-4 के विनियम-9 आयु एवं विनियम-10 शैक्षिणिक योग्यता में संशोधन के फलस्वरूप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

उत्तर प्रदेश, आवास एंव विकास परिषद

भूमि अर्जन अनुभाग

नोटिस

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम–1965

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–28 के अधीन

05 मई, 2025 ई0

सं0–1616/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–(पत्रावली–18), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के पत्र सं0 203/एल०ए०सी०/एच०क्यू०–दिनांक–05 मई, 2025 उ०प्र० साधारण गजट दि० 17 मई 2025 ई० (वैशाख 27, 1947 शक संवत्) के भाग 8 पृष्ठ संख्या–804, दि० 24 मई 2025 ई० (ज्येष्ठ 03, 1947 शक संवत्) के भाग 8 पृष्ठ संख्या–880, एवं दि० 31 मई 2025 ई० (ज्येष्ठ 10, 1947 शक संवत) के भाग 8 पृष्ठ संख्या–916 में प्रकाशित जनपद झाँसी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4, झाँसी 1044.73 एकड़ की धारा–28 के गजट प्रकाशन के हिन्दी नोटिस में पश्चिम दिशा की सीमा मौजा पिछौर तहसील व जनपद झाँसी में खसरा सं0–1 (भाग), 149, 239 (नाला व अन्य), 240, 241, 242, 243, 244, 270 को जोडकर पढ़ा जाये।

डा0 बलकार सिंह,
आवास आयुक्त।

Uttar Pradesh Housing and Development Board

Land Acquisition Section

Notice

Under Section-28 of the Uttar Pradesh Housing and Development Board Act-1965

(Uttar Pradesh Act No.-1, 1966)

Corrigendum

May 05, 2025

No-1616/एल0ए0सी0/एच0क्यू0–(पत्रावली–18), Regarding the U.P. Housing and Development Board letter No. 203/L.A.C./H.Q.- dated- 05 May 2025 published in the U.P. Ordinary Gazette dated 17 May, 2025

A.D. (Vaishakh 27, 1947 Saka Era) Part 8 Page No-805,806 dated 24 May 2025 A.D. (Jyeshtha 03, 1947 Saka Era) Part 8 page number-881,882and dated 31 May, 2025 A.D. (Jyeshtha 10, 1947 Saka Era) Part 8 page number-917,918 regarding the English Gazette publication of Section-28 for the Land Development and Housing Scheme number-4, Jhansi 1044.73 acres, in the West direction, in village Pichhor, Tehsil and District Jhansi, should be included and read as Khasra No.-1 (part), 149,239 (Nala and other) 240,241,242,243,244,270.

Dr. Balkar Singh,
Housing Commissioner.

बार कांउसिल ऑफ उत्तर प्रदेश

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश निर्वाचन 2025–26

10 नवम्बर, 2025 ई0

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की आमसभा की बैठक दिनांक 05 अक्टूबर, 2025 में पारित प्रस्ताव सं. 2994/25 के माध्यम से बहुमत से निश्चय किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक हर हाल में पूर्ण करा लेना है। ऐसी स्थिति में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रेषित पत्रांक सं0 BCI:D: 6680/2025 दिनांक 25 सितम्बर, 2025 के अनुक्रम में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के माननीय अध्यक्ष की सहमति से माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र सिंह, पूर्व न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पर्यवेक्षक (Observer) तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी, पूर्व न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त किया जाता है।

(राम किशोर शुक्ला),
सचिव/चुनाव अधिकारी,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश,
19 महर्षि दयानन्द मार्ग, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयु राय (AAYU RAI) पुत्र विनोद कुमार सिंह (VINOD KUMAR SINGH) है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9258 6078 6535 में उसका नाम अंश राय (ANSH RAI) अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयु राय (AAYU RAI) पुत्र विनोद कुमार सिंह (VINOD KUMAR SINGH) से ही जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनोद कुमार सिंह,
पुत्र कैलाश नाथ सिंह,
नि0–ग्राम व पोस्ट कनियर,
थाना–बड़ागॉव, तहसील–पिण्डरा,
जिला–वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम दिक्षा यादव पुत्री अशोक यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–8021 2593 9706 में उसका नाम दिव्या यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम दिक्षा यादव पुत्री अशोक यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अशोक यादव,
निवासी– पौटा, पोस्ट भीतरी,
तहसील सैदपुर, जनपद गाजीपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अमिता पुत्री श्रीनाथ जायसवाल पत्नी प्रभाकर सिंह है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है त्रुटिवश मेरे DLF LTD के शेयर सं0–INE 271C01023 व NHPC LIMITED के शेयर सं0– INE 848E01016 व PUNJ LLOYD के शेयर सं0– INE 701B01021 में मेरा नाम त्रुटिवश अमिता जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अमिता पुत्री श्रीनाथ जायसवाल पत्नी प्रभाकर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अमिता पुत्री श्रीनाथ जायसवाल,
पत्नी प्रभाकर सिंह,
निवासी– 185/157सी मधवापुर, बैहराना,
प्रयागराज, उ0प्र0।

NOTICE

This is to inform the public that my mother and father's real names are Geeta Rajput and Anil Singh, respectively, as listed on their Aadhaar and Pan Cards. Consequently, on my High School Certificate, serial number 23200252,Year 2024, my mother's and father's names are listed as Geeta and Anil Rajput, respectively, which is incorrect. It is hereby certified that I have personally completed all the formalities related to the above.

Kajal Rajput,
D/o Anil Singh,
Add-Civil Lines, Matatila Road,
Talbehat, Lalitpur, Uttar Pradesh.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 पूनम कुमारी कुशवाहा पुत्री धनश्याम दास कुशवाहा है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–3861 1829 3191 में मेरा नाम पूनम पन्नालाल कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 पूनम कुमारी कुशवाहा पत्नी वीरेन्द्र कुशवाहा, पुत्री धनश्याम दास कुशवाहा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु0 पूनम कुमारी कुशवाहा,
पुत्री घनश्याम दास कुशवाहा,
नि0– 207/72, करबला, नियर करबला मस्जिद,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ''रीता'' पुत्री राम आसरे है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–6177 7287 2387 में मेरा नाम रीतू अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रीता पुत्री राम आसरे पत्नी दुर्गा प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रीता पत्नी दुर्गा प्रसाद,
ग्राम–नि0 लौहर दक्षिण बहादुरपुर,
पोस्ट बहलोलपुर तह0 सदर,
जिला सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अग्रिम मालवीय पुत्र अजय प्रकाश मालवीय है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–6220 3697 5336 में उसका नाम माही मालवीय अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अग्रिम मालवीय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अजय प्रकाश मालवीय,
नि0–वार्ड सं0–10, चुर्क, जिला–सोनभद्र, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रखर आनन्द सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–5338 0407 0840 में उसका नाम शौर्यम सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रखर आनन्द सिंह पुत्र पियूष आनन्द के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पियूष आनन्द,
पुत्र काशी नाथ सिंह,
निवासी–34 (प्रा0) पेपर मिल कालोनी,
निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम परिधि पुत्री सन्तोष कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के अधार कार्ड सं0–4738 9639 0700 में उसका नाम परी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परिधि पुत्री सन्तोष कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सन्तोष कुमार,
पुत्र राम आसरे,
निवासी–127/52 जुही बम्बुरहिया,
निकट जी0पी0जी0 स्कूल, कानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम लवी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–4040 2141 7900 में उसका नाम दिव्या अंकित हो गया है, जो

कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम लवी पुत्री मदन लाल गुप्ता से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मदन लाल गुप्ता पुत्र सन्तराम गुप्ता,
निवासी–ल1/10 जी0एस0वी0एम0 मेडिकल,
कालेज कैम्पस कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सानवी सोनकर (Saanvi Sonkar) पुत्री श्री रमेश कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–5528 5897 0074 में उसका नाम प्रिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सानवी सोनकर (Saanvi Sonkar) पुत्री श्री रमेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रमेश कुमार, पुत्र श्री कालिका प्रसाद,
निवासी–ग्राम व पोस्ट खुर्रमपुर, विकास,
क्षे0 व तहसील ऊँचाहार,
जनपद रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सोइम राजपूत (SHOM RAJPUT) पुत्र नरेंद्र सिंह है, जो कि शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम सोइम् राजपूत (SHOM RAJPUT) से बदल कर सोहम राजपूत (SOHAM RAJPUT) रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को सोहम राजपूत (SOHAM RAJPUT) पुत्र नरेंद्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नरेंद्र सिंह, पुत्र बदन सिंह,
नि0 ग्राम दानियाँपुर पो0 पिपरगाँव,
जिला फर्रूखाबाद, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शालिनी राना (SHALINEE RANA) पुत्री दीपक कुमार भारती है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–2573 4965 7666 में उसका नाम शालनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शालिनी राना पुत्री दीपक कुमार भारती के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपक कुमार भारती,
ग्राम व पोस्ट–जगदीशपुर भलुआन,
जनपद–गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कलिन्द्र सिंह (KALENDRA SINGH) पुत्र इन्द्राशन सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–7426 4725 7404 में मेरा नाम कलिन्द्र सिंह (KALENDER SINGH) अंकित

है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे सही नाम कलिन्द्र सिंह (KALENDRA SINGH) पुत्र इन्द्राशन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कलिन्द्र सिंह (KALENDRA SINGH)
पुत्र इन्द्राशन सिंह,
निवासी– गहमर, पोस्ट गहमर,
जिला गाजीपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवेश कुमार पुत्र रामप्रताप यादव है, जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0 4784 1616 2529 में उसका नाम पीयूष यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवेश कुमार पुत्र रामप्रताप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामप्रताप यादव, पुत्र स्व0 फूलचन्द्र,
पता–सेक्टर जी0156 शान्तिपुरम,
फाफामऊ, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम देवेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप यादव है, जो कि उनके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0–6846 9512 8364 में उसका नाम आयुष यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम देवेन्द्र कुमार पुत्र रामप्रताप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामप्रताप यादव, पुत्र स्व0 फूलचन्द्र,
पता– सेक्टर जी0 156 शान्तिपुरम,
फाफामऊ, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम शालिनी निर्मल पुत्री स्व0 हरिश्चन्द्र निर्मल है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0–4793 4658 8565 में उसका नाम शिवानी निर्मल अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शालिनी निर्मल पुत्री स्व0 हरिश्चन्द्र निर्मल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सीमा देवी,
ग्राम उंचवागाँव ऐमा अस्थेगढ़ी समदाबाद,
मानिकपुर कुंडा मुबारकपुर,
प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पद्माक्षी राय (PADMAKSHI RAI) पुत्री पीयुष कुमार राय है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों आधार कार्ड और पैन कार्ड में अंकित है। मेरे पिता द्वारा मेरे घरेलू नाम से कुछ म्युच्युअल फण्ड में निवेश किया गया

था, जिसमें मेरा नाम पद्माक्षी राय के स्थान पर चेरी (CHERRY) अंकित हो गया था जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पद्माक्षी राय पुत्री पीयूष कुमार राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पद्माक्षी राय पुत्री पीयुष कुमार राय,
पता–एस0 2/1–35 सी, भुवनेश्वर नगर
अर्दली बाजार वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मोहम्मद अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद शरीफ है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–4138 1098 8495 में उसका नाम अब्दुल हक कुरैशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मोहम्मद अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद शरीफ के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शाफिया बेगम, पत्नी मोहम्मद शरीफ,
32ए कर्नलगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम राघवेन्द्र रावत पुत्र विजेन्द्र है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–9071 3014 3373 में उसका नाम प्रिन्स रावत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राघवेन्द्र रावत पुत्र विजेन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विजेन्द्र, पुत्र राघवेन्द्र रावत,
पता–बेहसा बाग नं0–2 कानपुर रोड,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम ऋषिता मिश्रा पुत्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0–6103 7846 7021 में इषिता मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम ऋषिता मिश्रा पुत्री सम्पूर्णानन्द मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पूजा मिश्रा,
निवासी– पाण्डर जसरा, बारा,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रविराज चौहान (RAVIRAJ CHAUHAN) पुत्र दुर्गा चौहान (DURGA CHAUHAN) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–8665 7152 2037 में मेरा नाम रवि (RAVI) अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रविराज चौहान (RAVIRAJ CHAUHAN) पुत्र दुर्गा चौहान (DURGA CHAUHAN) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रविराज चौहान, पुत्र दुर्गा प्रसाद,
निवासी– मिश्रौली, पोस्ट–भोपौरा,
जिला मऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम तारा श्रीवास है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, मेरी पुत्री का आधार कार्ड सं0–2084 1509 4240 में उसका नाम तनुशेखर अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम तारा श्रीवास पुत्री श्री प्रकाश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

श्री प्रकाश तनय श्री दुर्जनलाल,
पता–मोहल्ला कटरा तहसील,
मऊरानीपुर, जिला–झाँसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम परी यादव पुत्री मुन्नालाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–9939 9673 3768 में उसका नाम शिवानी हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम परी यादव पुत्री मुन्नालाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रेनू
सिकन्दरा चक साधोपुर,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अमन कुमार शर्मा पुत्र विन्ध्याचल शर्मा है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0–2637 5292 1651 में उसका नाम आनंद कुमार शर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमन कुमार शर्मा पुत्र विन्ध्याचल शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विन्ध्याचल शर्मा पुत्र डोमन शर्मा,
निवासी–ग्राम गरबन्धा पोस्ट रेनूसागर,
तहसील दुद्धी जिला सोनभद्र, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व पाण्डेय पुत्र योगेन्द्र नारायण पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख व आधार कार्ड सं0–5641 1250 7035 में अंकित है मैने अपने पुत्र के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अथर्व पाण्डेय से बदलकर दिव्यांश (DIVYANSH) पुत्र योगेन्द्र नारायण पाण्डेय रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को दिव्यांश (DIVYANSH) पुत्र योगेन्द्र नारायण पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनीता कुमारी सिंह,
पत्नी योगेन्द्र नारायण पाण्डेय,
निवासी– EA1/272 A.D.A. COLONY,
NAINI PRAYAGRAJ, U.P.

सूचना

सूचित हो कि मेरे शैक्षणिक में त्रुटिवश मेरा नाम यशराज सिंह तोमर दर्ज है जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम अनंत प्रताप सिंह तोमर है जो कि आधार कार्ड सं0–3302 8370 5611 में दर्ज है। भविष्य में मुझे अनंत सिंह तोमर पुत्र नर सिंह तोमर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनंत प्रताप सिंह तोमर, पुत्र नर सिंह तोमर,
पता– सेक्टर के 1204,
आशियाना लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृति सिंह (KRITI SINGH) पुत्री मुंशी सिंह है जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0–5371 4038 2275 में मेरा नाम नीतू सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृति सिंह (KRITI SINGH) पुत्री मुंशी सिंह पत्नी राहुल कुमार राव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कृति सिंह, पत्नी राहुल कुमार राव,
नि0– ग्राम सुगही पो0–देवरिया,
पाण्डेय थाना–कसया जनपद–कुशीनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सृष्टि गुप्ता (SHRISTI GUPTA) पुत्री अनूप कुमार गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0–2531 4212 2439 में उसका नाम सृष्टि गुप्ता (SHRISHTI GUPTA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सृष्टि गुप्ता (SHRISTI GUPTA) पुत्री अनूप कुमार गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एत्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनूप कुमार गुप्ता,
निवासी– 192एम/22पी/7,
ओ0पी0एस0 नगर राजरूपपुर,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

एत्तत द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स–गणेशदास रामगोपाल, हलवासिया कोर्ट हजरतगंज जिला–लखनऊ की साझेदारी फर्म 1932 साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है फर्म में पांच साझेदार श्री उमाशंकर हलवासिया, श्री मुकुन्द हलवासिया, सम्बंद्ध सिलानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अथोराइज सिगनेटरी श्री विनय सिंह,

जी०डी०आर०जी० एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक वर्मा एवं सम्बंद्ध एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक सिंह थे जिसमें दिनांक 11 नवम्बर, 2025 से फर्म के दो साझेदार क्रमशः श्री मुकुन्द हलवासिया एवं सम्बंद्ध सिलानी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विनय सिंह आपसी सहमति से फर्म की साझेदारी से स्वेच्छापूर्वक फर्म की साझीदारी से निकल गये है। वर्तमान में श्री उमा शंकर हलवासिया, जी0डी0आर0जी0 एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक वर्मा, एवं सम्बंध एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के आथोराइज सिगनेटरी श्री विवेक सिंह साझेदार है।

उमा शंकर हलवासिया,
गणेशदास राम गोपाल,
साझेदार,
जिला–लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० नीलम भारत गैस ग्रामीण वितरक, लिंक रोड नगला छत्ती बिसावर हाथरस उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री विनोद कुमार पुत्र श्री तहसीलदार सिंह, श्री राकेश कुमार पुत्र श्री तहसीलदार सिंह, श्री बच्चू सिंह पुत्र श्री तहसीलदार सिंह सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को संचालन की थी दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 को श्री विनोद कुमार पुत्र श्री तहसीलदार सिंह उक्त फर्म से स्वेच्छा से अलग हो गये है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नही है। अब फर्म को श्री राकेश कुमार, श्री बच्चू सिह संचालित करेगे।

राकेश कुमार,
साझेदार,
मे० नीलम भारत गैस ग्रामीण वितरक,
लिंक रोड नगला छत्ती बिसावर हाथरस।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० अशोक इण्टरप्राईज, जी–5, लायर्स कॉलोनी, आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री शशी कुमार खण्डेलवाल, श्री विनोद कुमार खण्डेलवाल, निवासीगण जिला आगरा हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक– 06 अप्रैल, 1972 को संचालन की थी। दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को अपनी स्वेच्छा से हम दोनों साझेदारों ने फर्म को विघटित कर दिया है। फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी वकाया नहीं है। और न ही हम दोनों साझेदारों में कोई मतभेद है।

शशी कुमार खण्डेलवाल,
साझेदार,
फर्म मे० अशोक इण्टरप्राईज, जी–5,
लायर्स कॉलोनी, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० मॉ अवन्तीबाई लोधी कोल्ड स्टोरेज, आनन्द विहार कॉलोनी, पाल नगर, नियर एस०टी०एस० रेजीडेंशियल स्कूल, राधा रमन रोड, मैनपुरी में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री मुकुट बिहारी, श्री कौशलेन्द्र सिंह निवासी जिला मैनपुरी हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक–26 जून, 2023 को संचालन की थी। दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 को अपनी स्वेच्छा से हम दोनों साझेदारों ने फर्म को विघटित कर दिया है। फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी बकाया नहीं है और न ही हम दोनों साझेदारों में कोई मतभेद है।

कौशलेन्द्र सिंह,
साझेदार,
मे० मॉ अवन्तीबाई लोधी कोल्ड स्टोरेज,
आनन्द विहार कॉलोनी, पाल नगर,
नियर एस०टी०एस० रेजीडेंशियल स्कूल,
राधा रमन रोड, मैनपुरी।

सूचना

एत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स क्रिसेंट मीडिया पता– 54 राम भवन सुभाष मार्ग लखनऊ से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार– वेदान्ती गुप्ता एवं साक्षी चौहान, साझेदार थे। दिनाँक 30 सितम्बर, 2025 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें हम दोनों साझेदारो द्वारा आपसी सहमति से फर्म को विघटित कर दिया है तथा इस फर्म से हम दोनों साझेदारो का कोई लेना देना नहीं होगा फर्म पर किसी भी प्रकार की देनदारी नहीं है फर्म सभी देनदारियो से मुक्त है जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही है।

वेदान्ती गुप्ता,

साझेदार,

मेसर्स क्रिसेंट मीडिया।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स न्यू हाईट्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, लखनऊ से पाजीकृत है। यह कि 2 साझेदार – श्री आशीष राय एवं श्रीमती खुशबु राय साझेदार थे। दिनाँक 25 अप्रैल, 2025 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री शुभम यादव साझेदार रूप में शामिल हो गये है वर्तमान में 3 साझेदार क्रमशः श्री आशीष राय, श्रीमती खुशबु राय एवं श्री शुभम यादव साझेदार हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही है।

श्री आशीष राय,

साझेदार,

मेसर्स न्यू हाईट्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट,

लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० कृष्णा कान्हा रैजीडेंसी कन्सोर्सियम, 200/1 रमणरेती, वृन्दावन, मथुरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं

यह कि दिनांक–01 अक्टूबर, 2025 से फर्म के भागीदार कृष्णा कान्हा रैजीडेन्सी प्रा०लि० (डायरैक्टर श्री कपिल देव उपाध्याय, रमणरेती वृन्दावन, मथुरा) फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। तथा उक्त दिनांक को ही श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र स्व० श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी–गोवर्धन गेट वृन्दावन जिला मथुरा साझेदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिये गये है। अब फर्म में श्री नारायन दास अग्रवाल तथा श्री कपिल देव उपाध्याय भागीदार है।

नारायन दास अग्रवाल,

भागीदार,

मे० कृष्णा कान्हा रैजीडेंसी कन्सोर्सियम,

200/1 रमणरेती, वृन्दावन, मथुरा।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे० तिरूपति एग्रो इण्डस्ट्रीज, सिटी एन्कलेव, रामघाट रोड, अलीगढ में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं –

यह कि दिनांक–25 अक्टूबर, 2025 से श्रीमती सीमा चतुर्वेदी पत्नी श्री जगदीशचन्द्र चतुर्वेदी निवासी– नदरई गेट, माल गोदाम रोड, मौहल्ला मोहन, कासगंज को साझेदार की हैसियत से फर्म में सम्मिलित कर लिया है तथा उक्त दिनांक–25 अक्टूबर, 2025 को ही श्री मधुर जैन पुत्र श्री प्रदीप जैन निवासी सिटी एन्कलेव, रामघाट रोड, अलीगढ़ फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये है। अब फर्म में श्रीमती शालिनी शर्मा तथा श्रीमती सीमा चतुर्वेदी भागीदार है।

शालिनी शर्मा,

भागीदार,

मे० तिरूपति एग्रो इण्डस्ट्रीज,

सिटी एन्कलेव, रामघाट रोड, अलीगढ।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० सुपर ग्लास वर्क्स, प्लॉट संख्या AI-25UPSIDC जलेसर

रोड फिरोजाबाद–283203 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है–

यह कि उक्त फर्म में दिनांक 09 नवम्बर, 2025 को फर्म के द्वितीय साझेदार श्री सुदीप चन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्व० सुबोध चन्द्र चतुर्वेदी निवासी–279 चौकी गेट फिरोजाबाद की मत्यू होने के कारण उनकी साझेदारी समाप्त हो गई है दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को संदीप चतुर्वेदी पुत्र स्व० सुदीप चन्द्र चतुर्वेदी निवासी– 279 चौकी गेट फिरोजाबाद सुशान्त चतुर्वेदी पुत्र स्व० सुदीप चतुर्वेदी निवासी उपरोक्त को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म श्री अनिल कुमार जैन श्री संदीप चतुर्वेदी श्री सुशान्त चतुर्वेदी श्री अमन जैन तथा श्री विनय कुमार गोयल साझेदार है।

अनिल कुमार जैन,
साझेदार,
मे० सुपर ग्लास वर्क्स, प्लॉट, संख्या-
AI-25UPSIDC, जलेसर रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s M.D. BUILDER, 128/K/480, K-Block, Kidwai Nagar, Kanpur का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 01 जून, 2016 को पंजीकरण सं० K-8135 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 16 मार्च, 2016 को फर्म में श्री दीपक पाण्डेय, श्रीमती विशाखा पाण्डेय एवं श्री कुलदीप पाण्डेय साझीदार थे। भागीदारी डीड दिनांक 15 नवम्बर, 2025 के अनुसार साझीदार श्री कुलदीप पाण्डेय स्व–इच्छा से पृथक हो गये हैं तथा फर्म का पता 393 Y-1 Block, Kidwai Nagar, Kanpur कर दिया गया है। अब फर्म में श्री दीपक पाण्डेय व श्रीमती विशाखा पाण्डेय साझीदार हैं।

दीपक पाण्डेय,
पार्टनर,
पता– 393 Y-1 Block,
Kidwai Nagar, Kanpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स ए०वी० जॉब वर्क ऑफ ऑटो पार्टस, ए–80, सैक्टर–10, नोएडा, जिला– गौतमबुद्धनगर–201301 की साझीदारी में श्री अशोक कुमार एवं श्री विजय कुमार, साझीदार थे। दिनांकः 18 नवम्बर, 2025 की विघटित साझीदारीनामा के अनुसार दोनों साझीदारों श्री . अशोक कुमार एवं श्री विनय कुमार की आपसी सहमति से फर्म की साझीदारी को विघटित कर किया गया है। फर्म पर किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक/व्यक्ति का ऋण/देयता नही है। यदि पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी हम साझीदारों की संयुक्त रूप से होगी।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अशोक कुमार,
साझीदार,
मेसर्स ए०वी० जॉब वर्क ऑफ ऑटो पार्टस,
ए–80, सैक्टर–10, नोएडा,
जिला–गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अनमोल किसान सेवा केन्द्र, ग्राम गजरौला सैद, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला-मुरादाबाद (यू०पी०) पंजीकरण सं0-MOR/0008124 में दो पार्टनर, श्रीमती सोनिका चन्द्रा पत्नी श्री अवनीश कुमार एवं श्री सरकार हुसैन पुत्र श्री मौ० रफी थे। पार्टनर श्रीमती सोनिका चन्द्रा ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 को रिटायरमेन्ट लेकर अपनी साझीदार समाप्त कर ली है। फर्म में दिनांक 04 दिसम्गर, 2025 को श्री मौ० उजलेमीन पुत्र श्री होशियार खान एवं श्री गुलफाम अली पुत्र श्री अबरार हुसैन शामिल हो गये हैं। रिटायरमेंट लेने वाले पार्टनर की उक्त फर्म पर अब

कोई लेनदारी/देनदारी नहीं है। फर्म में अब तीन पार्टनर श्री सरकार हुसैन पुत्र श्री मौ० रफी, श्री मौ० उजलेमीन पुत्र श्री होशियार खान एवं श्री गुलफाम अली पुत्र श्री अबरार हुसैन है।

सरकार हुसैन,
पार्टनर,
मेसर्स अनमोल किसान सेवा केन्द्र,
ग्राम गजरौला सैद, तहसील ठाकुरद्वारा,
जिला-मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ''पूजा ओवरसीज'', पताः–ई1ई2, पॉकेट–ए, एस0ई0जेड0, दिल्ली रोड, मुरादाबाद नामक फर्म में दिनांक 01 सितम्बर, 2025 को अमित कपूर पुत्र श्री रवि कपूर व श्रीमती गुंजन कपूर पत्नी अमित कपूर रिटायर हो गये हैं तथा रिटायर्ड पार्टनरों की उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्रीमती पूनम कपूर व धवल कपूर रह गये है।

पूनम कपूर,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स ''पूजा ओवरसीज'',
पताः–ई1ई2, पॉकेट–ए, एस0ई0जेड0,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S MEHER FILLING STATION, Gata No. 344, Village Kalaulijar, District Hamirpur के पते पर पंजीकृत है जिसका पंजीयन सं0–HAM/0019033 दिनांक 27 अगस्त, 2024 है। भागीदारी डीड दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 के अनुसार फर्म में दोनो साझीदारों धर्मेन्द्र सिंह व श्रीमती शुभम सचान की आपसी सहमति से फर्म को विघटित कर दिया गया है।

श्रीमती शुभम सचान,
पार्टनर,
फर्म M/S MEHER FILLING STATION,
Gata No. 344, Village Kalaulijar,
District Hamirpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम कार्तिकेय सिंह है। उसका नाम आधार कार्ड सं0–6151 9011 1900 है जिसमें मेरा नाम अजीत सिंह AJIT KUMAR लिख गया है, जो गलत है मेरा सही नाम अजीत कुमार सिंह AJEET KUMAR SINGH है मेरे पुत्र का हिन्दी में नाम कार्तिकेय सिंह सही है अंग्रेजी में KARTIDEY SINGH लिख गया है जो गलत है। मेरे पुत्र कार्तिकेय सिंह का अंग्रेजी में सही नाम KARTIKEY SINGH है। अंग्रेजी में लिखे गये स्पेलिंग KARTIDEY SINGH न हो कर KARTIKEY SINGH होना चहिए जो नहीं है। इन्हें अंग्रेजी की स्पेलिंग KARTIKEY SINGH के नाम की स्पेलिंग से व मुझे अजीत कुमार सिंह AJEET KUMAR SINGH के नाम से जाना व पहचाना जाये।

अजीत कुमार सिंह, पुत्र सदानंद सिंह,
डी–164 फर्टिलाइजर कालोनी गोरखपुर,
फर्टिलाइजर फैक्ट्री, उ0प्र0।

पी0एस0यू0पी0–37 हिन्दी गजट–भाग 8–2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।